आवास भारती

वर्ष 20 | अंक 78

जनवरी-मार्च, 2021

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं बैंक के प्रबंध निदेशक की मुलाकात

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को बैंक की गृह पत्रिका आवास भारती भेंट करते हुए

सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय को राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती भेंट करते हुए

बैंक के प्रधान कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2021 को किए गए राजभाषा प्रगति सम्बंधी निरीक्षण की कुछ झलकियां

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय निरीक्षण हेतु आये श्री कुमार पाल शर्मा उप निदेशक महोदय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करते हुये

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय निरीक्षण हेतु आये श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत करते हुये

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
2.	12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास	7
3.	मशीन लर्निंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस	11
4.	वितरित लेजर एवं ब्लॉकचेन की बुनियादी बातें – बैंकिंग, वित्त एवं भू-संपदा में अनुप्रयोग	12
5.	अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)	14
6.	औपनिवेशिक भारत में नगर नियोजन और भवन निर्माण	18
7.	सफल प्रबंधन: सकारात्मक दृष्टिकोण	23
8.	आवास और मॉर्टगेज उद्योग में फिनटेक की भूमिका	26
9.	सपना	28
10.	प्रसिद्ध तेंदुआ (स्कारफेस)	30
11.	शहरीकरण: समस्याएं एवं संभावनाएं	33
12.	नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग	37
13.	बुढ़ापा और वृद्ध व्यक्ति विकास के लिए मायने रखते हैं	40
14.	गुमनाम जिंदगी-खतरनाक करतब	42
15.	केंद्रीय बजट एवं प्रोत्साहन उपायों पर भारत सरकार तथा मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा की गई घोषणाएं	43
16.	काव्य सुधा	48

कुल तकनीकी लेख	– 09
कुल सामान्य लेख	– 06
कुल योग	– 15

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 20, अंक 78, जनवरी-मार्च, 2021

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री राहुल भावे
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
सुशांत कुमार पाढ़ी
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
आर के अरविन्द, सहायक महाप्रबंधक
पंकज चड्ढा, सहायक महाप्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
मनोज कुमार, उप प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मौर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

मुझे अपने प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष जनवरी–मार्च 2021 का आवास भारती का 78वां अंक प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस अंक के प्रकाशन में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कुछ विलंब हुआ है जिसके लिये हम अपने पाठकों से क्षमा चाहते हैं। हमारा यह प्रयास है कि आने वाले समय में पत्रिका के अंक नियमित रूप से निकाले जायें जिससे गति बनी रहे।

राष्ट्रीय आवास बैंक का वित्तीय वर्ष जुलाई से जून तक होता है एवं वर्ष 2020–21 के वित्तीय वर्ष के समापन में कुछ ही कार्यदिवस बचे हैं। किसी भी संस्थान के लिये वित्तीय वर्ष के परिणाम बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष के बेहतर परिणाम आपकी सफल कार्य–निष्पादकता के साथ–साथ सभी कर्मियों के कर्मफल का लेखा–जोखा देते हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्थापना काल से ही विभिन्न व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहा है एवं हम 1988 से अब तक के बैंक के कार्य–निष्पादन पर नजर डालें तो एक गरिमामयी इतिहास की झलक मिलती है। चालू वित्तीय वर्ष में भी हमें पूरा विश्वास है कि हम नये लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक का पुनर्वित्त संवितरण परंपरा को निभाते हुए एक इतिहास कायम करने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी विशेष चलनिधि सहायता के अनुसरण में राष्ट्रीय आवास बैंक ने हजारों करोड़ों रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को उनके द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक आवास ऋणों के लिये प्रदान की है।

कोरोना काल में जहाँ एक तरफ प्राथमिक ऋणदाता संस्थान चलनिधि की दिक्कत से जूझ रहे थे ऐसे में समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये फैसले एवं इन फैसलों को अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास क्षेत्र को चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान करने में सहायता मिली। बैंक का तुलन पत्र सार्थक दिशा में प्रगति कर रहा है एवं मेरा हमेशा से यह मानना है कि संख्या शक्ति की प्रतीक होती है। हाल ही में कई नये अधिकारियों ने बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है एवं मुझे उम्मीद है कि संख्या में बढ़ोत्तरी से राष्ट्रीय आवास बैंक के व्यावसायिक प्रयासों को और बल मिलेगा तथा इस वित्तीय वर्ष की तरह आने वाले समय में हम और प्रगति करेंगे।

पत्रिका के इस अंक में हमारा जोर एक बार पुनः आवास, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर तकनीकी लेख प्रकाशित करने का रहा है। हालांकि चुनिंदा लेख हम सामान्य विषयों पर भी देते हैं जिससे एक संतुलन एवं समरसता बनी रहे। हमारे पाठकों से प्राप्त होने वाले सुझावों से भी पत्रिका के अंकों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मुझे उम्मीद है कि पत्रिका के पूर्व अंक की तरह यह अंक भी आप सबको पसंद आयेगा एवं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमें हमेशा की तरह इस अंक में भी प्राप्त होंगी।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

आप की पाती

महोदय,

पत्रिका का मुख्यावरण सदैव की भांति आकर्षक है, पत्रिका की सामग्री अत्याधुनिकता से भरी हुई हैं जो पाठकों का ज्ञानवर्धन भी करती है। पत्रिका में राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार शीर्षक के माध्यम से आपके कार्यालयों द्वारा राजभाषा क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी कार्यों को दर्शाया गया है जो निश्चय ही अन्य कार्यालयों को भी प्रेरित करेगा। विभिन्न निबंधों जैसे **योजनाओं के माध्यम जैसे ऋण– संयुक्त विस्तारण, फिनटेक–चुनौती और संभावनाएं, सतर्क भारत–समृद्ध भारत, सतर्कता से समृद्धि तक, बंधक बीमा संकल्पना, सतर्कता: एक व्यवहार आदि** के माध्यम से पाठकों का विस्तृत ज्ञानवर्धन होता है, वहीं इसमें अन्य विधा जैसे कविता, कहानी आदि का समावेश हो जाने से इसमें और अधिक निखार आया है।

पत्रिका के सुन्दर एवं ज्ञानवर्धक इस अंक के लिए आवास भारती सम्पादक मंडल को हार्दिक बधाई, समस्त रचनाकारों को साधुवाद तथा आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

(बलदेव कुमार मल्होत्रा)
मु.प्र., दिल्ली बैंक नराकास

महोदय,

मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को आपकी एक और नवीन एवं उत्तम गृह पत्रिका – आवास भारती के अक्टूबर–दिसंबर 2020 का 77वां अंक प्रकाशित करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस अंक में आपके द्वारा आवास, बैंकिग, अर्थव्यवस्था आदि तकनीकी विषयों पर आलेख एवं महत्वपूर्ण जानकारी आम आदमी तक पंहुचाने के अलावा 'सतर्क नागरिकों' के कर्तव्यों एवं उसकी जिम्मेदारियों के विषय में आम आदमी को अवगत करने हेतु मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में भी आप हमें नित नये विषयों की जानकारी देते रहेंगें।

(डॉ शैलेश कुमार अग्रवाल)
बीएमटीपीसी

महोदय,

इस त्रैमासिक के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है अतः आपके द्वारा सतर्कता संबंधी लेखों को स्थान देकर पत्रिका में समसामयिकता का परिचय दिया गया। यह सराहनीय है। पत्रिका में कोरोना संबंधी लेख, जल संरक्षण. रघुवीर सहाय की कहानी "मुठभेड़ का संकलन, संसदीय समिति के निरीक्षण संबंधी जानकारी, ई टूल्स संबंधी लेख एवं काव्य सुधा के अंतर्गत प्रस्तुत कविताओं ने अंतर्मन को छू लिया।

इस तरह सम्पादक मंडल ने पत्रिका के प्रति पूर्णतः न्याय किया है, पत्रिका में अन्य बैंक के स्टाफ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लेख साथ ही स्टाफ सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लेखों को स्थान देकर संपादक मंडल ने सहृदयता का परिचय दिया।

उत्कृष्ट एवं सारगर्भित प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(राजीव वार्ष्णेय)
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

रा.आ.बैंक द्वारा विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ 2021) का आरंभ

कोविड–19 के उपरांत, आवास वित्त क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020–21 की दूसरी तिमाही से संस्वीकृतियां एवं संवितरण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। विगत वर्ष मई–अगस्त, 2020 के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) एवं अतिरिक्त विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एएसआरएफ) के अंतर्गत 14,000 करोड़ रूपये का पुनर्वित्त समर्थन प्रदान किया था। एक वर्ष हेतु यह अल्पकालिक चलनिधि समर्थन माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को रेपो दर पर उपलब्ध कराई गई विशेष चलनिधि सुविधा का हिस्सा थी।

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई एसआरएफ एवं एएसआरएफ सहित अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के तहत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलाई) जिसमें आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) शामिल थे, को पुनर्वित्त के रूप में 42,823.93 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लक्ष्यानुसार, आरंभिक वृद्धि दर को और बढ़ाने एवं विकास दर को बरकरार रखने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष चलनिधि सुविधा–2 (एसएलएफ–2) के तहत नये समर्थन के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक को एक साल के लिए आवासीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रूपये दिये हैं।

तदनुसार, रा.आ.बैंक ने विशेष पुनर्वित्त सुविधा – 2021 (एसआरएफ–2021) का आरंभ किया है। एसआरएफ 2021 का उद्देश्य, लचीले नियमों एवं शर्तों पर आ.वि.कं. तथा अन्य पात्र पीएलआई को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत आबंटित कुल राशि 10,000 करोड़ रुपये होगी।

इस सुविधा से यह अपेक्षित है कि इसके माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा इसके माध्यम से उन्हें, उनके द्वारा वैयक्तिकों को दिये जाने वाले ऋण हेतु भी सहायता प्राप्त होगी जिससे कि आवास वित्त क्षेत्र में निरंतर वृद्धि बरकरार रखी जा सकेगी।

अतिरिक्त जानकारी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर उपलब्ध है।

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।"

– सुमित्रानंदन पंत

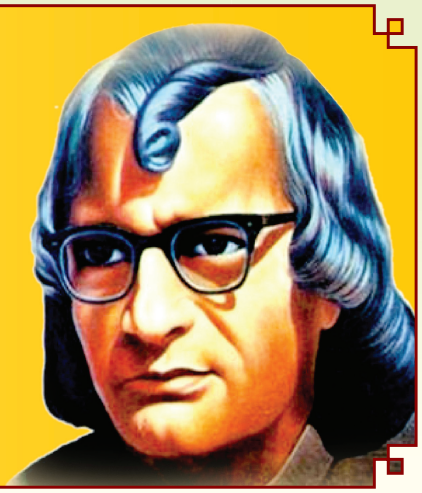

बैंक के पदोन्नत अधिकारियों की सूची

बैंक के निम्न अधिकारियों को इस वर्ष पदोन्नत किया गया राजभाषा विभाग की ओर से पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों को शुभकामनाएं

सहायक प्रबंधक (स्केल – I) से उप प्रबंधक (स्केल – II) में पदोन्नति

सुश्री मंजू रथाटा

श्री दीपक राठी

श्री आदेश कुमार

सुश्री शाम्भवी अवस्थी

उप प्रबंधक (स्केल – II) से प्रबंधक (स्केल – III) में पदोन्नति

सुश्री दीपाली नंदन प्रसाद

श्री राहुल कुमार

श्री अड्डा लीला विजय कृष्णा

प्रबंधक (स्केल – III) से क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) में पदोन्नति

श्री वैभव जे. रामटेके

सुश्री राधिका मूना

श्री अजय कुमार

श्री आशीष जैन

श्री परिचय

श्री ललित गोयल

क्षेत्रीय प्रबंधक (स्केल – IV) से सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) में पदोन्नति

श्री आलोक शर्मा

श्री विजय कुमार

श्री के जगनमोहन राव

श्री पंकज चड्ढा

सुश्री प्राची तंवर

सहायक महाप्रबंधक (स्केल – V) से उप महाप्रबंधक (स्केल – VI) में पदोन्नति

श्री सुनील रसानिया

श्री अमित सिन्हा

डॉ मोहित कौल

"हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।"

– पुरूषोत्तम दास टंडन

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

– डॉ. सुमीत जैस्थ, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

राजभाषा अर्थात राज–काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम–जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत–मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने–कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन–प्रति–दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India & Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी–डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ–साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति–विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी–

लोकतंत्र (Democracy)
मांग (Demand)
जनसांख्यिकीय विभाजन (Demographic Dividend)
अविनियमन (Deregulation)
उत्पत्ति (Descent)
विविधता (Diversity)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 12 'प्र' की रणनीति–रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का

शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय–समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात पुरस्कार (Reward)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने–कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग–अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय–समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई–प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान – केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत–स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC & Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6 प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे–धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट– ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश–विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा

हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार–प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह–पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई–पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई–पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ–साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाईयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच–बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी या केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय–समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच–बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम–काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है

आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Condition) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत या 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

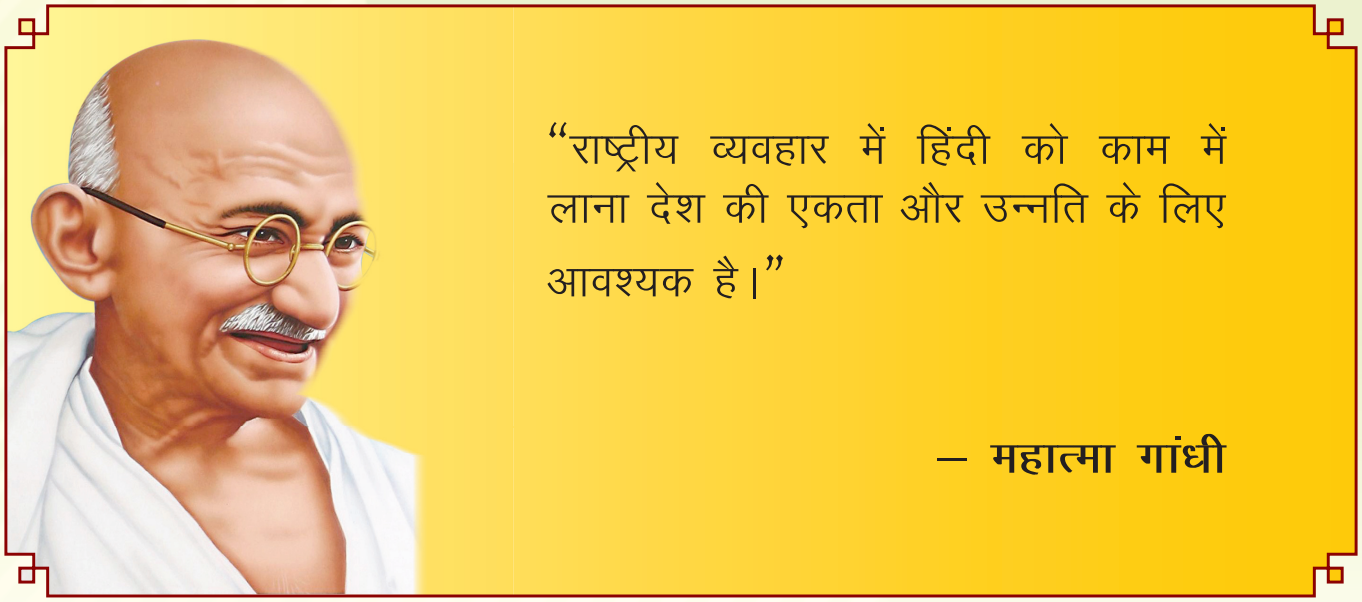

मशीन लर्निंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

– उत्कर्ष सिंह, सहायक प्रबंधक

हाल ही में हमने कई नई–नई तकनीकों के नाम सुने होंगे। उनमें सुनाई पड़ने वाले नामों में दो प्रमुख नाम हैं – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आजकल हर क्षेत्र में इनका प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। मगर यह तकनीकें वास्तव में है क्या?

मशीन लर्निंग से शुरुआत करते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इस तरह से विकसित करना कि वह इंसानों की तरह नई–नई सूचना लेकर खुद को विकसित कर सके मशीन लर्निंग कहलाता है। इसका लक्ष्य किसी भी मशीन को स्वयं निर्णय ले सकने का सामर्थ्य देना है। मशीन लर्निंग के लिए प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है – मानिये कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्वयं ही कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें छाँट सके। इसके लिए हम कई ऐसे प्रोग्राम लेंगे जो इस कार्य के लिए बने हुए हैं और उन सभी को कुत्तों और बिल्लियों की अलग–अलग प्रकार की तस्वीरें दिखाएंगे। उसके बाद हम उन प्रोग्रामों को हटा देंगे जो ढंग से अंतर नहीं बता पा रहे हैं। बाकी प्रोग्रामों को हम और विकसित करके उनको और तस्वीरें दिखाएंगे। फिर उसमें से भी हम ऐसे प्रोग्राम हटा देंगे जो ढंग से अंतर नहीं बता पा रहे हैं। इस प्रकार हम धीरे–धीरे कई प्रोग्रामों में छाँट कर ऐसे प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे जो तस्वीरों में ढंग से अंतर बता पा रहा है तथा जिसे भविष्य में अलग से प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर इसी प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहा जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी कोई तकनीक तो नहीं है, बल्कि यह नाम उन सभी प्रक्रियाओं को दे दिया जाता है जो स्वयं सीखने तथा स्वतंत्र रूप से सूचना पर निर्णय लेने की योग्यता रखती हैं। यह योग्यता केवल कुछ छोटे–छोटे निर्णय लेने की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि पुराने निर्णयों को सुधारने और नई सूचना पर नए निर्णय लेने की भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोचने का तरीका एक सामान्य इंसान की तरह होना चाहिए।

इन दोनों के बीच का संबंध हम एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। 2017 में डीप माइंड नाम की कंपनी ने एक नए प्रकार का प्रोग्राम बनाया – अल्फा जीरो। जब पुराने प्रोग्रामों को शतरंज या कोई अन्य खेल खेलना सिखाया जाता था, तो उनको कई भूतपूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों के खेल दिखाए जाते थे। फिर उनके आधार पर उनको खेलने दिया जाता था। परंतु अल्फा जीरो को केवल शतरंज के नियम समझाये गए और फिर वह अपने ही खिलाफ खेलते–खेलते जीतने का प्रयास करने लगा। 1 दिन के अंदर ही वह न केवल शतरंज, बल्कि गो और शोगी नाम के दो अन्य खेलों में भी प्रवीणता प्राप्त करने लगा। स्वयं खेलते–खेलते, बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के, इस प्रोग्राम ने पुराने दिग्गज प्रोग्रामों को मात दे दी। यह प्रवीणता उसने प्राप्त की मशीन लर्निंग के द्वारा, तथा सीखने की प्रक्रिया को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कदम मान सकते हैं।

मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे पिछले कुछ सालों में हम सभी ने सुन रखे हैं। बैंकों में क्रेडिट निर्णय लेने से लेकर बड़ी–बड़ी कंपनियों के तमाम कार्य करने का भार भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ सकता है। हर नई तकनीक की तरह यह तो जाहिर है कि लोग इनकी भूमिका को लेकर अतिशयोक्ति करेंगे ही, लेकिन कई जगहों पर इसकी भूमिका अवश्य दिखेगी।

परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर नई तकनीकी के फायदे के साथ नुकसान भी आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के द्वारा ऐसी चीजें अब संभव हैं जो पहले असंभव ही नहीं, बल्कि सोच के भी बाहर होती थी। समाज में फैलाई जा रही फेक न्यूज की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहले से कई गुना बढ़ सकती है। मशीन लर्निंग के द्वारा डीप–फेक नाम की एक तकनीक आई है, जहां एक वीडियो में किसी भी इंसान के द्वारा कुछ भी बुलवाया जा सकता है। यदि इस तकनीक में पूर्णता आ गई, तो फिर यह अंतर करना असंभव हो जाएगा कि कौन सी वीडियो असली है और कौन सी नकली। ऐसी कई जगहों पर जहां पर मशीन लर्निंग द्वारा नौकरियों के लिए भर्ती हो रही थी, वहां यह पाया गया कि प्रोग्राम औरतों से आगे आदमियों को, तथा अल्पसंख्यकों से आगे बाकी लोगों को वरीयता प्रदान कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भर्ती के कार्यक्रम पुरानी भर्तियों पर आधारित करके बनाए गए थे, जो स्वयं में ही त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण थे। सभी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने रचनाकारों यानी मनुष्य से भी आगे बढ़ सकता है। तब क्या होगा अगर वह तब निर्णय निकालें कि उसे अपनी प्रगति के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हमारी मदद कई कार्यों में कर सकते हैं। मगर वह हर संकट के रामबाण नहीं हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों पर हमेशा ही मनुष्यों द्वारा निगरानी एवं अवलोकन होना चाहिए। उसके पश्चात ही यह तकनिकियाँ समाज में सभी को लाभ प्रदान कर पाएँगी।

वितरित लेजर एवं ब्लॉकचेन की बुनियादी बातें - बैंकिंग, वित्त एवं भू-संपदा में अनुप्रयोग

– रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

भूमिका

वर्तमान में अधिकतर संस्थान केंद्रीकृत डाटाबेस का उपयोग करते हैं, जबकि इसके उलट वितरित लेजर एक डाटाबेस है जो कई स्थानों पर मौजूद होता है। वितरित लेजर होने का प्रमुख लाभ यह है कि केंद्रीकृत डाटाबेस के उलट इसमें विफलता की कोई एक बिंदु नहीं होती है। विभिन्न परस्पर क्रियाओं के दौरान ब्लॉकचेन और वितरित लेजर शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता है लेकिन इनके अर्थ अलग–अलग हैं। आगे के संदर्भों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए यह कहा जा सकता है कि ब्लॉकचेन वितरित लेजर का मात्र एक प्रकार है। वितरित लेजर और ब्लॉकचेन को संक्षेप में निम्नानुसार समझा जा सकता है:

वितरित लेजर

वितरित लेजर एक डाटाबेस है जो कई स्थनों पर मौजूद रहता है और सभी स्थल नेटवर्क में एक एकल बिंदु के तौर पर काम करते हैं। वितरित लेजर में जब डाटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड दर्ज होता है या किसी पुराने रिकॉर्ड में बदलाव होता है तो विभिन्न प्रोटाकॉल के माध्यम से नेटवर्क के सभी बिंदुओं को इस बदलाव के बारे में सूचित किया जाता है। प्रोटाकॉल वितरित लेजर के निर्माण के समय प्रशासक द्वारा लिखित पूर्व निर्धारित प्रोग्राम या कोड होते हैं और इन्हें भविष्य में बदला नहीं जा सकता है। ये वे नियम हैं जिन पर वितरित लेजर चलता है और स्मार्ट अनुबंधों का आधार तैयार करता है। नेटवर्क में कुल बिंदुओं में से कम से कम 51 प्रतिशत बिंदुओं से सहमति प्राप्त होने के बाद ही डाटाबेस को अपडेट किया जाता है और उसके बाद यह पलटा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार, अगर सहमति प्राप्त नहीं होती है तो डाटाबेस खुद ही डाटा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए सभी स्थलों के बीच अंतिम सहमति पर वापस चला जाता है, इस घटना को सहमति प्राटोकॉल भी कहा जाता है।

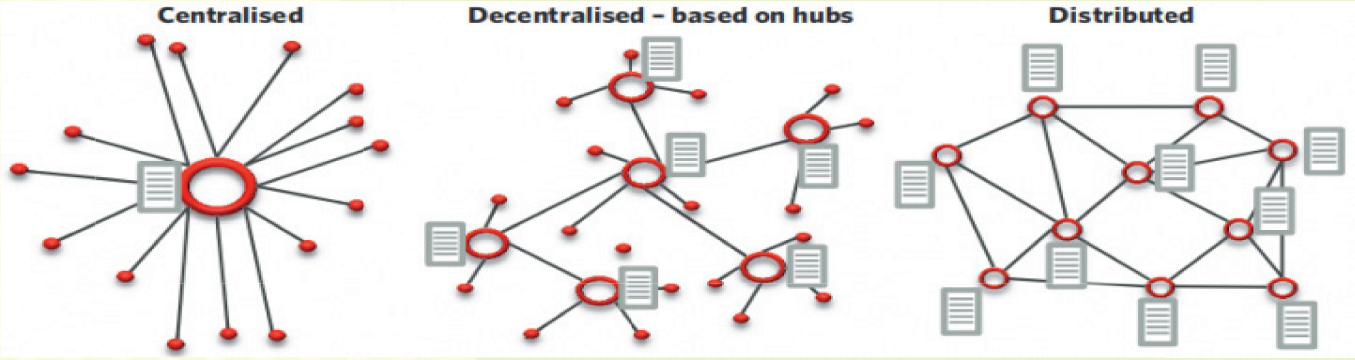

एक वितरित लेजर में सभी रिकॉर्ड में समय लिखा होता है और नेटवर्क के सभी प्रतिभागी रिकॉर्ड को प्रतिस्पर्धा में देख सकते हैं। यह डेटाबेस पर संग्रहीत सभी सूचनाओं का सत्यापन योग्य लेखा सत्यापन सुनिश्चित करता है।

ब्लॉकचेन

ब्लॉकचेन वास्तव में सूचना की एक सारणी होती है। सूचना को ब्लॉकों के रूप में देखा जा सकता है और ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक के बारे में एन्क्रिप्टेड जानकारी होती है। हैश एल्गोरिदम इस सूचना को खास ब्लॉक में इनकोड करता है और 64 बिट का एक लंबा हेक्साडेसिमल कोड तैयार करता है और उस कोड का उपयोग चेन में अगले ब्लॉक को जोड़ने के लिए किया जाता है, इस प्रकार से ब्लॉकचेन शब्द की उत्पत्ति हुई।

साधारण शब्दों में ब्लॉक N की सामग्री हैश एल्गोदरियम के माध्यम से एन्क्रिप्ट होती है और ब्लॉक O में स्थापित होती है और इसी प्रकार ब्लॉक O की सामग्री एन्क्रिप्ट होती है और ब्लॉक P में स्थापित होती है। यदि ब्लॉकचेन में 1000 ब्लॉक

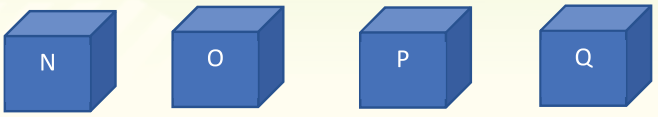

हैं और 500 ब्लॉक में गड़बड़ी करना हो तो सभी आने वाले ब्लॉक की सामग्री को तदनुसार बदलना होगा। इस प्रकार ब्लॉकचेन में किसी खास ब्लॉक की जानकारी स्वाभाविक रूप से इनकोड हो जाती है और बिना प्राधिकरण के गड़बड़ी करना लगभग असंभव हो जाता है।

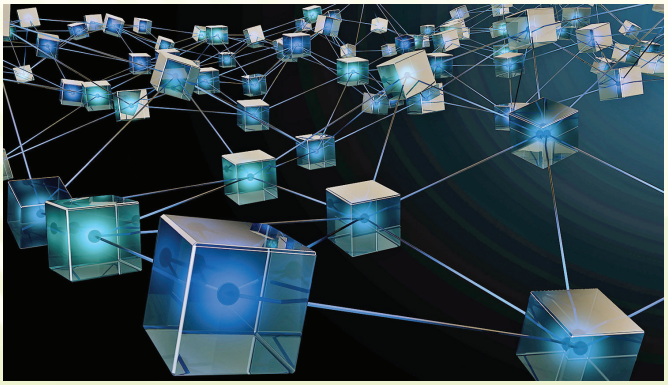

वितरित लेजर और ब्लॉकचेन के फायदे

- नेटवर्क के सभी प्रतिभागियों के पास जानकारी तक पहुंच होती है जो पारदर्शिता को सक्षम करता है।
- यह लेने–देन के समय को घटकार मिनटों में कर सकता है और 24/7 प्रोसेस किया जा सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी ने बैक ऑफिस दक्षता और ऑटोमेशन को बढ़ाने में सहायता की है।
- विकेंद्रीकृत प्रकृति के डाटोबेस और साथ ही इस तथ्य के कारण कि लेजर अपरिवर्तनीय होते हैं, यह बहुत सुरक्षित है।
- रिकॉर्ड रखना, एन्क्रिप्टेड और छेड़छाड़ मुक्त होता है जो वित्तीय प्रकृति के लेने–देनों को सुगम बनाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर से लेकर शेयरधारक के रिकॉर्ड शामिल हैं।
- लेजर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यह लेखा जोखा की दोहरी प्रवृष्टि के लाभ सुनिश्चित करता है।

वितरित लेजर एवं ब्लॉकचेन के उद्‌भव ने प्रौद्योगिकी संचालित कंपनियों के लिए एक नया क्षितिज प्रदान किया है, और यद्यपि यह तकनीक लगभग एक दशक पुरानी ही है, लेकिन दुनिया भर में कई संगठन तेजी से अपनी वास्तविक अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं। कुछ प्रमुख कारण जिसके कारण वितरित लेजर और ब्लॉकचेन का अनुप्रयोग बैंकिंग, वित्त और भू–संपदा में हो सकता है वे निम्नानुसार हैं:

स्मार्ट संविदा (बैंकिंग एवं वित्त)

स्मार्ट संविदा दो पक्षों के बीच एक करार होता है और कोड की पंक्तियों में अंतर्निहित होता है जो वितरित, विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क में मौजूदा रहता है। यह लेन–देनों के पूर्व परिभाषित शर्तों के आधार पर कार्यक्रमों द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित अपरिवर्तनीय और ट्रैक करने योग्य लेने–देनों को सुगम बनाता है। स्मार्ट संविदा की मदद से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान तेजी से और सुरक्षित तरीके से बड़े लेन–देन कर सकते हैं।

वितरित लेजर (भू–संपदा)

वर्तमान में संपत्ति लेजर के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे सामने मोटे दस्तावेज दिखने लगते हैं, जिसमें जमीन के बारे में डाटा/जानकारी और स्वामित्व के हस्तांतरण के विवरण होते हैं। यदि एक नई भूमि पंजीकृत होती है या स्वामित्व को हस्तांतरित किया जाता है तो एक रिकॉर्ड लेजर में दर्ज करना पड़ता है। चूँकि केंद्रीकृत उत्पादकों में विफलता का एक ही बिंदु होता है, इसलिए यह संपत्ति लेजरों को साइबर हमलों और आपदाओं के लिए असुरक्षित बनाता है। अपने विकेन्द्रीकृत प्रकृति के कारण वितरित लेजर, विफलता के एकल बिंदु के जोखिम को बेअसर करने में मदद करेगा।

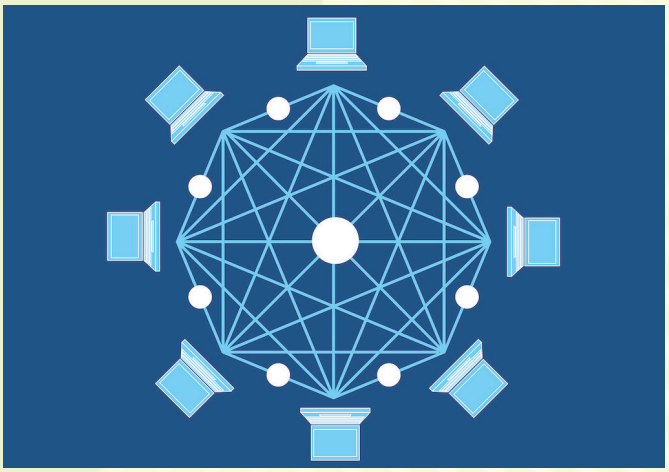

निष्कर्ष

वितरित लेजर और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी काफी हद तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप लोग भविष्य में इसके व्यवहार्य अनुप्रयोगों को लेकर निराशावादी हो गए हैं, लेकिन यह भू–संपदा, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में आधुनिक समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त प्रदान कर सकता है।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)

– वर्षा जैन, उप प्रबंधक एवं किरण कुमार, प्रबंधक

ऋण हानि आकलन किसी भी प्रकार के कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह संभावित हानियों का एक संकेतक है जो किसी कारोबार में हो सकता है जोकि अर्थव्यवस्था में मौजूद अनिश्चितता के कारण होता है। अनिश्चितता माइक्रोइकोनॉमी और मैक्रोइकोनॉमी दोनों में ही विभिन्न कारकों की वजह से हो सकती है जिसके कारण अपने वित्तीय विवरणों में लाभों के मूल्यांकन के समय कारोबारों को ऋण हानि होती है।

प्रावधानीकरण/ऋण हानि भत्ते वित्तीय क्षेत्र में ऋण हानि को मापने हेतु प्रमुख साधन है। वर्ष 2008 तक, मूल रूप से हुए नुकसान/नुकसान की घटना के कारण पर हानियों की पहचान के 'घटित हानि मॉडल (आईएलएम)' को विश्वभर में अपनाया जाता था। इस मॉडल में रिपोर्टिंग तारीख अर्थात हानि की घटना चिन्हित होने के बाद ऋण हानियों हेतु प्रावधान निर्माण, को पहले से हो चुकी हानियों के माप की परिकल्पना की जाती है। इस मॉडल के अंतर्गत प्रावधानों हेतु दो प्रकार के लेखांकन दृष्टिकोण हैं अर्थात नियम आधारित एवं सिद्धांत आधारित। नियम आधारित दृष्टिकोण सभी संस्थानों हेतु अपनाए जाने वाले मानक निर्देश प्रदान करता है जबकि सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण संस्थानों की अपनी जरूरत के अनुसार मानकों को निर्धारित करने की छूट देता है।

अपनी कई खामियों के कारण जो वर्ष 2007–09 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान लोगों के नजरों में आईं, इस मॉडल को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। आईएलएम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह ऋण हानि को 'बहुत कम और बहुत देर से'' अर्थात ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को ध्यान में रखे बिना और किसी भावी घटना के कारण हानि की संभावना के समावेशन के बिना, चिन्हित करता है। इस दृष्टिकोण के कारण संस्थानों ने कम चूक और वित्तीय फायदे को अधिक दिखाने के कारण बढ़ती आर्थिक स्थितियों के दौरान निम्न प्रावधानीकरण को बनाए रखने के प्रतिबंधात्मक अभ्यास को प्रेरित किया। फिर मंदी के समय, संस्थान उधार देने को लेकर निराश रहे जिसके कारण आय स्तर में कमी आई और वे प्रावधान सीमाओं (कमजोर आर्थिक परिदृश्य का परिणाम) को बढ़ाने के लिए मजबूर हुए जिसके कारण लाभ का अंतर कम हुआ या हानियों को दर्ज करने के कारण आखिरकार उनके इक्विटी पर प्रतिकूल असर पड़ा। इस प्रकार आईएलएम द्वारा ऋण हानि के लिए प्रावधानीकरण में देर हुई जिसके कारण यह बैंकों को वित्तीय एवं आर्थिक तनाव के झटके को सहने के उनकी क्षमता को प्राप्त कराने में विफल रहा।

घटित हानि मॉडल की विफलता ने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारकों का ध्यान खींचा और बीसीबीएस ने प्रावधानीकरण मानकों को घटित हानि दृष्टिकोण से अपेक्षित ऋण हानि की ओर करने का सुझाव दिया ताकि भविष्य में ऋण हानि के मूल्यांकन में सुधार हो सके।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल

आईएलएम से ईसीएल में जाने के पीछे के विचार में ऋण हानियों के भावी अपेक्षाओं के बारे में पहले से सूचना प्रदान करना शामिल है। किसी भी संस्थान के लिए एक खास अवधि में होने वाली हानियों और उसकी तीव्रता का पहले से अनुमान लगाना काफी कठिन होता है। हालांकि, अपने फैसलों, हानियों के ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के आधार पर समान अवधि के दौरान हो सकने वाली औसत हानि का काफी हद तक पूर्वानुमान लगाना संभव है। इन हानियों को अपेक्षित हानि (ईएल) के तौर पर जाना जाता है। ईएल के कारण होने वाली ऋण हानि प्रावधानों के द्वारा कवर होती है। दूसरी तरफ अप्रत्याशित हानियां वे हानियां होती हैं जिसके समय और सीमा का संस्थान द्वारा पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और ये अपेक्षित हानियों से अधिक हो सकती हैं। यूएल के कारण होने वाली ऋण हानि पूंजी द्वारा कवर होती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार 'ऋण हानि पहचान वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के होने पर निर्भर होने के बजाए पूर्वानुमानित होगा'। दूसरे शब्दों में, ईसीएल मॉडल को आस्तियों के व्यवहार की पूर्व प्रवृत्ति, मौजूदा हालात और पूर्वानुमानित उपायों, जिसमें अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मैक्रोइकॉनोमिक कारक शामिल हैं, पर आधारित अपेक्षित हानियों की अवधारणा पर तैयार किया गया है। पूर्वानुमानित उपाय अतिरिक्त सूचनाएं हैं जो भावी प्रगति के संबंध में आस्ति के निष्पादकता को इंगित करती हैं। ये पूर्वानुमानित सूचनाएं इकाईयों के अपने ग्राहकों के स्व–अनुमान जैसे कि अपेक्षित वसूली पैटर्न, चूक की संभावना, वसूली का समय, संपार्श्विकों से वसूले जा सकने वाली अनुमानित राशि आदि के साथ–साथ मैक्रोइकॉनोमिक कारकों जैसे कि मंदी, बेरोजगारी आदि से संबंधित होती हैं।

ईसीएल मॉडल में, होने वाले नुकसान को वित्तीय लिखत के ऋण गुणवत्ता के बिगड़ने की परवाह किए बिना असल हानि होने से पहले ही चिन्हित कर लिया जाता है। हालांकि, ऋण गुणवत्ता के बिगड़ने पर, हानियों का कैसे और किस हद तक अनुमान लगाया जाए इस पर दृष्टिकोण में बदलाव होता है। भारतीय लेखांकन मानक 109 में वित्तीय आस्ति के प्रकार और उपलब्ध सूचना के आधार

पर ईसीएल को मापने की तीन विधियां निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से है:

(i) सामान्य दृष्टिकोण	सामान्य दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों हेतु अपात्र सभी ऋणों और प्राप्तियों पर लागू होता है।
(ii) खरीदी गई या उत्पन्न हानि ऋण वित्त आस्तियां (पीओसीआई)	एक "ऋण समायोजन दृष्टिकोण" उन ऋणों पर लागू होता है जो शुरूआी पहचान में ऋण हानि हैं (उदाहरण, ऐसे ऋण जो उनके ऋण जोखिम के कारण बहुत अधिक छूट पर प्राप्त किए गए हैं)।
(iii) सरलीकृत दृष्टिकोण	सरलीकृत दृष्टिकोण जो कुछ व्यापार प्राप्तियों और तथाकथित "भारतीय लेखा मानक 115 – ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व" हेतु अपेक्षित है और अन्यथा इन आस्तियों और प्राप्त पट्टों हेतु वैकल्पिक है।

ईसीएल मॉडल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि अर्थात चरण 1, चरण 2 और चरण 3 पर ईसीएल के तौर पर हानि राशि के निर्धारण हेतु अपने प्रारंभिक पहचान से वित्तीय आस्ति के **ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)** हुआ है या नहीं इसके आधार पर 3 चरणीय हानि मॉडल स्थापित करता है।

भारतीय लेखांकन मानक–109 के अनुसार, एससीआईआर को किसी वित्तीय आस्ति के अनुमानित जीवन पर हो रहे चूक के जोखिम में बदलाव के तौर पर परिभाषित किया गया है और शुरूआती पहचान की तारीख को वित्तीय आस्ति पर होने रहे चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय आस्ति पर हुए चूक के जोखिम की तुलना कर मूल्यांकित किया जाता है।

चरण 1
– 30 दिन से अधिक अतिदेय नहीं (अर्जक)
– शुरूआती पहचान से ऋण जोखिम नहीं बढ़ा हो
– 12 माह ईसीएल

चरण 2
– 30 दिन से अधिक अतिदेय लेकिन 90 दिन से कम (खराब प्रदर्शन)
– ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि
–लाइफटाइम ईसीएल

चरण 3
– 90 दिन से अधिक अतिदेय (अनर्जक)
– ऋण गुणवत्ता में गिरावट के साक्ष्य
–लाइफटाइम ईसीएल

चरण 1 में, अवलोकनीय घटनाओं द्वारा अप्रभावित वित्तीय आस्तियां संभावित भावी हानि से सीधे संबंध को इंगित करती है। हालांकि, **12–माह** ईसीएल पहचान हेतु अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्सपोजर हेतु जोकि सामान्य तौर पर निष्पादित होते हैं, सूत्र का प्रयोग कर 12 माह के आधार पर ईसीएल की गणना की जाएगी (फैक्टिरिंग घटनाएं जो 12 माह के समय सीमा के भीतर होने की संभावना होती है),

ईसीएल = पीडी*एलजीडी*ईएडी; जहां,

पीडी: एक वर्ष की अवधि पर प्रतिपक्ष के चूक की संभावना;

एलजीडी: बकाया राशि के प्रति प्रतिपक्ष के चूक के कारण एक्सपोजर पर हानि का अनुपात;

ईएडी: बकाया राशि (तुलनपत्रेत्तर के मामले में, ऋण परिवर्तन कारक (सीसीएफ) का उपयोग कर ऋण व्यय मदों को परिमाणित किया जा सकता है। सीसीएफ कितने अप्रयुक्त ऋण के चूक पर ऋण में परिवर्तित होने की संभावना है)।

चरण 2 और 3 में, अवलोकनीय घटनाओं द्वारा प्रभावित आस्तियां संभावित भावी हानि से सीधे संबंध को इंगित करती है। चरण 2 में आस्तियों का ऐसा समूह शामिल होता है जो चूक के खतरे (एसआईसीआर) में हैं और चरण 3 में इसमें वे आस्तियां शामिल होती हैं जिसके ऋण हानि होने की संभावना होती है या हो गई होती है (अर्थात चूकें, आदि)। ईसीएल को लाइफटाइम ईसीएल के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले जहां आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आती है और आस्ति खराब हो जाती है, इस सूत्र का उपयोग कर 12 महीने की बजाए आस्ति के संपूर्ण जीवन पर ईसीएल की गणना की जाती है:

$$ECL = E\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(1+r)^i} \cdot Pr(\tau = i) \cdot LGD_i \cdot EAD_i\right],$$

जहां, r छूट दर है, i = 1,…..,n ऋण की अवधि है अर्थात इसे परिपक्व होने तक वर्ष या तिमाही, Pr(τ =i) संभावना है जोकि उधारकर्ता का चूक समय है, τ अवधि में है, i का अर्थ है कि जो इस अवधि में बना रहता है j = 1,…,i-1 और LGDi और EADi चूक के कारण हानि और i अवधि में चूक पर एक्सपोजर हैं।

चूक की संभावना (पीडी)

पीडी को दो तरीके से परिभाषित किया जा सकता है अर्थात दबावग्रस्त और गैर दबावग्रस्त। तनावग्रस्त पीडी एक अनुमान है कि वर्तमान बाध्यताधारी विशेष सूचना को ध्यान में रखते हुए एक खास समय अवधि पर लेकिन अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की परवाह किए बिना "दबावग्रस्त" मैक्रोइकॉनोमिक कारकों को ध्यान में रखते हुए चूक करेगा। एक बाध्यताधारी की दबावग्रस्त पीडी बाध्यताधारी के जोखिम विशेषताओं के आधार पर समय के साथ बदलता है लेकिन आर्थिक चक्रक में बदलावों के कारण बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है क्योंकि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां का अनुमाल पहले ही लगाया जा चुका होता है। गैर–दबावग्रस्त पीडी एक अनुमान है कि बाध्यताधारी वर्तमान माइक्रो इकॉनोमिक के साथ–साथ विशिष्ट सूचना को ध्यान में रखते हुए एक खास

समय सीमा पर चूक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो बाध्यताधारी की पीडी बढ़ेगी और अगर आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होती है तो यह घटेगी। उपरोक्त परिभाषित दबावग्रस्त पीडी आमतौर पर बाध्यताधारी के थ्रू द साइकिल (टीटीसी) पीडी को निरूपित करता है जबकि गैर–दबावग्रस्त पीडी प्वाइंट ऑफ टाइम (पीआईटी) को निरूपित करता है।

पीआईटी पीडी आर्थिक चक्र में विविधताओं को पकड़ने की कोशिश करता है और इसलिए इसके साथ आगे बढ़ता है। पीआईटी पीडी मॉडल मौजूदा मैक्रो–इकॉनोमिक परिस्थितियों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार पीडी स्कोर नजदीक से कारोबार चक्र पर नजर रखेंगे।

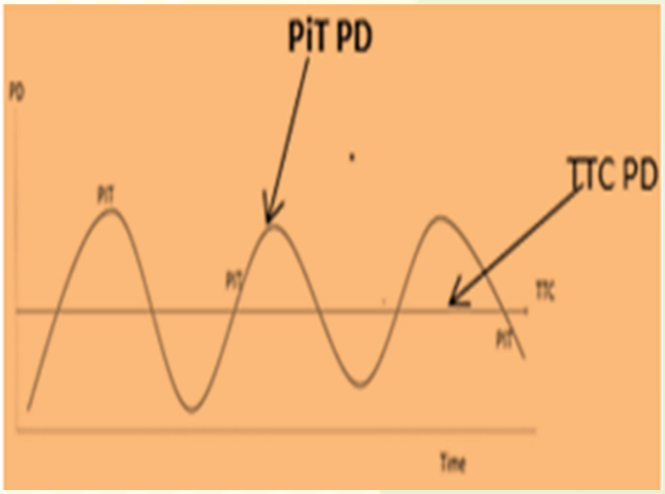

टीटीसी मॉडल केवल अलग–अलग ग्राहकों की विशेषताओं को पकड़ने की कोशिश करता है।

चूक के कारण हुई हानि (एलजीडी)

चूक के कारण हुई हानि बाध्यताधारी द्वारा किए गए किसी चूक के मामले में हुई हानि का प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, इसे कुल एक्सपोजर राशि के हिस्से के तौर पर अनुमानित किया जाता है जो बाध्यताधारी द्वारा अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में विफल होने पर प्राप्त नहीं होगा।

एक सटीक एलजीडी का अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उधारदाता के पूंजी जरूरतों के सीधे अनुपातिक होता है। एलजीडी का एक उचित अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के साथ–साथ अप्रत्यक्ष लागत अर्थात संग्रह लागत, अनर्जक आस्तियों के धारण की लागत, विधिक लागत आदि में कारक होना चाहिए।

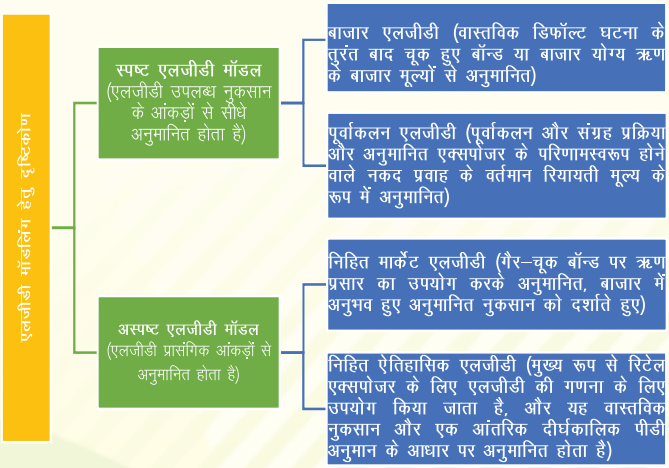

चूक की स्थिति में एक्सपोजर (ईएडी)

चूक की स्थिति में एक्सपोजर को एक ऐसे आकार के ऋण जोखिम एक्सपोजर के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है जिसकी उधारदाता को ऋण की अवधि के दौरान आर्थिक गिरावट परिस्थितियों को संभालने हेतु संबंधित बाध्यताधारी अपने दायित्व को पूरा नहीं करने के मामले में ऋण प्रतिबद्धता पर सामना करने की उम्मीद होती है। ईएडी एक अनुमान है जो एक्सपोजर के आकार के आसपास अनिश्चितता (जोखिम) को दर्शाता है जिसका बैंक सामना करते हैं। यह केवल मौजूदा जोखिम नहीं है जिसका आज बैंक सामना करता है; यह कुल भविष्य के एक्सपोजर का एक अनुमान है जिसका बैंक को गिरावट की स्थितियों में चूक की घटना के मामले में सामना करना होगा।

सुविधाओं/प्रतिबद्धताओं वाले ऋण जोखिम इस पर निर्भर करते हैं कि ऋण एक्सपोजर स्थिर है या अस्थिर। एक स्थिर ऋण एक्सपोजर वह है जहां बैंक ने भविष्य में ऋण प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की है, जबकि अस्थिर ऋण एक्सपोजर वह है जहां बैंक ने मौजूदा ऋण के अतिरिक्त ऐसी प्रतिबद्धता की है।

एक स्थिर एक्सपोजर हेतु ईएडी आहरित राशि पर ईएडी होती है। अस्थिर एक्सपोजर हेतु, हानि की मात्रा तुलन पत्र मूल्य से अधिक हो सकती है क्योंकि बाध्यताधारी द्वारा बाद में निकासी करने के कारण हो सकता है कि बाध्यताधारी अपने दायित्व को पूरा करने में चूक जाए। अस्थिर एक्सपोजर पर ईएडी अनुमान में दो घटक शामिल हो सकते हैं अर्थात

(i) आकलन के समय संवितरित राशि से संबंधित एक्सपोजर और
(ii) भविष्य में भावी आहरणों के कारण संभावित एक्सपोजर जोकि अनुबंधात्मक करारों के अधीन है।

पहला घटक है तुलन–पत्र मूल्य अर्थात कुल संवितरित राशि से सभी चुकौती की कटौती के बाद प्राप्त मूल्य और यह निश्चितता के साथ जाना जाता है। ईएडी अनुमान की तुलना में अधिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य लाने के लिए संवितरित राशि पर उपार्जित ब्याज और बाध्यताधारी से प्राप्त होने वाले शुल्क को भी शामिल किया जाता है।

दूसरी तरफ दूसरा घटक जिसे तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के तौर पर भी संदर्भित किया जाता है, चूक की घटना के होने पर और आर्थिक गिरावट परिस्थितियों के प्रसार पर उसकी निर्भरता के कारण आकलित किया जाना चाहिए। तुलन–पत्रेतर ईएडी दो कारकों यथा (क) राशि स्वीकृत है लेकिन संवितरण लंबित है और (ख) ऋण परिवर्तन कारक (सीसीएफ) के परिणाम के तौर पर गणना की जाती है। सीसीएफ असंवितरित राशि के अनुपात का एक अनुमान है जो अगर बाध्यताधारी अगर चूक करता है तो उस समय प्रभावी आहरण राशि में परिवर्तित हो जाएगा।

भारत में प्रावधान मानदंड

30 मार्च 2016 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया जिसमें 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप शामिल है। तदनुसार, एनबीएफसी का एक वर्ग भारतीय लेखांकन मानक के दायरे में आ गया है और इस तरह के नियामक आईआरएसी मानदंड ऐसे एनबीएफसी के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। वर्तमान में भारतीय लेखांकन मानक बैंकों, बीमा कंपनियों और आईएफआई पर लागू नहीं होता है।

स्रोतः

- बैंकिंग पर्यवेक्षण (2004) पर बासेल समिति, बासेलः पूंजी मापन और पूंजी मानकों का अंतर्राष्ट्रीय अभिसरणः एक संशोधित रूपरेखा खंड 444 से 485, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
- निम्न चूक पोर्टफोलियो में चूक की संभावना का आकलन, नीना कास्टर और लीनिया गेर्हार्दसन, गणितीय सांख्यिकीय विभाग, लुंड विश्वविद्यालय में संकाय, जनवरी 2017
- जोखिम मॉडलों का सत्यापन, पेशेवरों हेतु पुस्तिका, सरगियो
- विकिपीडिया
- अनुमानित–ऋण हानि– सरलीकरण, बीडीओ, इंडिया प्रकाशन, 2017
- भारत में बैंकों हेतु गतिशील ऋण हानि प्रावधानीकरण ढांचा का परिचय– भा.रि.बैंक
- बीआईएस चर्चा पत्र – लेखांकन प्रावधान का विनियामक उपचार
- अनुमानित ऋण हानियों हेतु लेखांकन पर बीआईएस मार्गदर्शन

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।"

– पंडित मदनमोहन मालवीय

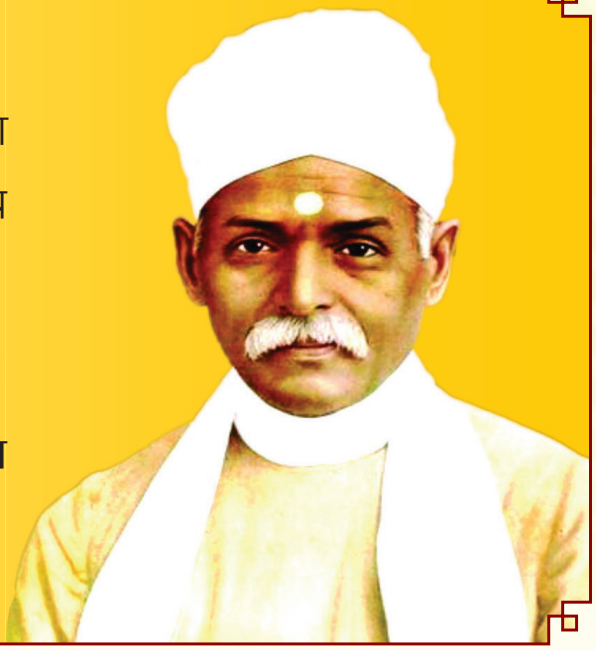

औपनिवेशिक भारत में नगर नियोजन और भवन निर्माण

– राजीव कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक

इस लेख में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रकिया पर चर्चा करेंगे, औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशिष्टताओं का अन्वेषण करेंगे और बड़े विकासक्रम को गहनता से देखेंगे। तीनों शहर मूलतः मत्सय ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गये। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन तीन बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किये। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थीं। इनकी जाँच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा।

मद्रास में बसावट और पृथक्करण

कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टनम कहते थे। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगू सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था जो अपने इलाके में व्यापरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबन्दी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनैतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा।

फोर्ट सेंट जॉर्ज: सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया जहाँ ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। डच और पुर्तगालियों को यूरोपीय ईसाई होने के कारण वहाँ रहने की छूट थी। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में की गई थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी अंग्रेज शासक थे और मद्रास का निकास शहर में रहने वाले मुठ्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ।

अठाहरवीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया। ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द–गिर्द रिहायशी मकान बनाए गये थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी–टेढ़ी संकरी गलियों में अलग–अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिन्ताद्रीपेठ इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वाशरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। मद्रास को बहुत सारे गाँवों को मिला कर विकसित किया गया था। दुबाश ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी, दोनों को बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुँच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी।

शुरूआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे वेल्लार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगू कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। अठाहरवीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ

मौजूद थे। पेरियार और वन्नियार गरीब कामगार वर्ग में ज्यादा थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लीकेन में जा बसे थे जो एक अच्छी–खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लीकेन हिंदु धार्मिक

केंद्र थे जहाँ अनेक ब्राह्मणों को भरण–पोषण मिलता था। सान थोम और वहाँ का गिरजा रोमन केथलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियाँ मद्रास शहर का हिस्सा बन गई।

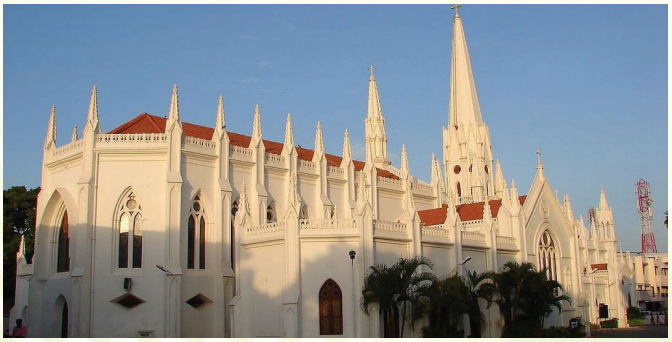

इस प्रकार, बहुत सारे गाँवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे–जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड, इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणामस्वरूप मद्रास के इर्द–गिर्द स्थित गाँवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली।

कलकत्ता में नगर नियोजन

आधुनिक नगर नियोजन की शुरूआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका मतलब यह था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिम्बित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बाशिंदों और संसाधनो पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजहें थीं कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी।

1765 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब के संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके।

कलकत्ता को सुतानाजी कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीन गाँवों को मिल कर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गाँव की जमीन को साफ करने लिए वहाँ के व्यापारियों और बुनकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट–विलियम के इर्द–गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गोरेर–मठ कहने लगे थे। खाली मैदान इसलिए ताकि उस पर किले से बेरोक–टोक गोलाबारी की जा सके। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय ईमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रजों की बस्तियाँ इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द–गिर्द की विशाल खुली जगह, जो अभी भी मौजूद हैं यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर–नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था।

कलकत्ता में नगर–नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलयम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह ईमारत अंग्रेजों की सत्ता में आने का प्रतीक थी। आ जमने के बाद लॉर्ड वेलेजली शहर के हिन्दुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़–भाड़, जरूरत से ज्यादा हरियाली, गंदें तालाबों, सड़ांध, निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को इन चीजों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं जिनमें बीमारियाँ फैलती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वाथ्य के लिए हानिकारक मानते थे। इससे बचने का एक तरीका यह ढूंढ़ा गया कि शहर में खुले छोड़े जाएँ।

वेलेजली ने 1803 में नगर–नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्मशोधन इकाईयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जनस्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर–नियोजन परियोजनाओं में बार–बार दुहाई दी जाने लगी। वेलेजली की विदाई के बाद नगर–नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी

(1817) ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी।

इसका मतलब है कि उन्नीसवीं सदी के शुरूआती दशकों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का नया नक्शा बनवाया, जिससे कलकत्ता की एक आबादी वाले हिस्से में सड़क–निर्माण और नदी किनारे से अवैध् कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ–सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोंपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश गरीबों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई।

अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर–नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान में अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं हो पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत – जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है– के अनुसार कार्रवाई की। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रूस्तमजी कोवासजी जैसे शहर के जाने–माने हिन्दुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इन्तजाम नहीं था। इसीलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार–बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए, 1936 में इसी आशंका के चलते

फूस से झोपड़ियों को बनाना अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया।

उन्नीसवीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलअंदाजी और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो जमाना लद चुका था जब नगर–नियोजन को सरकार और निवासियों, दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्तपोषण सहित नगर–नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस आधार पर और ज्यादा तेजी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया।

इस सरकारी नीतियों के विरूद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवादी विरोधी और राष्ट्रवाधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। जैसे–जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर–नियोजन में ऐसी हर चीज को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थेः तर्कसंगत क्रम–व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श। शहरों का साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था।

यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर–नियोजन था तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों की भव्य ईमारतों में मोती टाँक दिए जाएँ। शहरों में बनने वाली ईमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक ईमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और फल मंडिया कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये ईमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं, लेकिन ये साधारण ईमारतें नहीं थीं। अकसर ये ईमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रावाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थीं। आइए देखें कि मुंबई में इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। शुरूआत में मुंबई सात टापुओं का इलाका था। जैसे–जैसे आबादी बढ़ी टापुओं को एक–दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक–दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल भू–भाग अस्तित्व में आया।

मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उन्नसवीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात मुंबई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम

का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापरियों और बिचौलिये इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए

मुनाफें का सौदा था और इससे भारतीय पूँजीपति वर्ग का विकास हुआ। मुंबई के पूँजीपति वर्ग में पारसी माखाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती बनिये, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई आदि विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे।

जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1961 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका के दक्षिण भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की माँग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंध और मजबूत हुए। मुंबई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुंबई को भारत का सरताज घोषित कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक मुंबई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था। जैसे–जैसे मुबंई की अर्थव्यवस्था फैली, उन्नीसवीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नयी ईमारतें बनाई गई। इन ईमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि की तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जान–पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबत होती है। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली ईमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा।

शुरूआत में ये ईमारतें परंपरागत भारतीय ईमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थीं। लेकिन धीरे–धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जाता है जिन्हें मुंबई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी का बैंगलो शब्द बंगाल के 'बंगला' शब्द से निकला है जो एक परंपरागत फूस की बनी झोंपड़ी होती थी। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवाँ छत और चारों तरफ बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए एक अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले एक शालिस नस्ली गढ़ बन गए थे जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे।

सार्वजनिक भवनों के लिए मौटे तौर पर तीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। दो शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थीं। इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियोक्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े–बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्यसागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया था। 1833 में मुंबई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग में तेजी के समय बनाई गयी बहुत सारी व्यावसायिक ईमारतों के समूह को एलफिस्टन

सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्निमान सर्कल रख दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत इटली की ईमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरणपथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था।

एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया वह नव–गॉथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारिक साज–सज्जा इस शैली की शासियत होती है। गॉथिक शैली का जन्म ईमारतों, खासतौर से गिरजों से हुआ था जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए। नव–गॉथिक शैली को इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब मुंबई में सरकार बुनियादी ढ़ांचों का निर्माण कर रही थी। सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार ईमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई। इनमें से कुछ ईमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहाँगीर रेडीमनी ने पैसा दिया था जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निमार्ण प्रेमचंद रॉयचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी माँ के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नव–गॉथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थीं और उनके कारण मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नव–गॉथिक शैली का सबसे इंडियन पेनिन्स्युलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। जो आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है।

अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया था क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य मुंबई के आसमान पर इन्हीं ईमारतों का दबदबा था और उनकी नव–गॉथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। बीसवीं सदी की शुरूआत में एक नयी मिश्रित स्थापत्य शैली को इंडो–सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिन्दु का संक्षिप्त रूप था जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन ईमारतों– गुम्बदों, छतरियों, जालियों मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तु शिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वह यहाँ स्वाभाविक शासक हैं।

राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह ईमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। मुम्बई के ज्यादातर भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन–निर्माण और साज–सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड–भाड़ की वजह से मुम्बई में खास तरह की ईमारतें होती थी। जिनमें एक–एक कमरे वाली आवासीय इकाईयां बनाई जाती थीं। ईमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की ईमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ।

ईमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती है ?

स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन, जैसा कि हमने देखा, ईमारते उन लोगों की सोच और नजर के बारे में भी बताती हैं जों उन्हें बना रहे होते थे। ईमारतों के जरियें सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था और वह ईमारतों और उनकी विशिष्टताओं– ईंट–पत्थर, खम्भे और मेहराब, आसमान छुते गुम्बद या उभरी हुई छतें– के जरिये किस प्रकार अभिव्यक्ति होती थी। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रूचियों का ही पता नहीं चलता। व उनको बदलती भी हैं। वे नयी शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं।

जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे। लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देशी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। उन्नीसवीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरूचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की वृहद प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियां बदलती और विकसित होती गई। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही है।

सफल प्रबंधनः सकारात्मक दृष्टिकोण

– रंजन कुमार बरून, उप महाप्रबंधक

हमेशा यह कहा जाता है कि युवावस्था जीवन का सबसे सफल एवं आंनदमय चरण है। मेरा मानना है कि अगर आप अपने को एक युवक अथवा युवती मानते हैं तो आपके मन–मस्तिष्क में ऊर्जा, आंखों में एक नयी चमक तथा पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व में होना जरूरी है। यह जरूरी हो जाता है कि इन गुणों को आप अपने में समेटे रहें तभी आप सही अर्थों में अपनी युवावस्था का परिचय दे पायेंगे।

मैंने देखा है कि युवाओं में भी कुछ भाग्यवादी लोग होते हैं, वह भाग्य को स्वीकार करते हैं और जो पुरुषार्थ एवं कर्मशीलता में यकीन रखते हैं वह अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। पुरुषार्थ भाग्य का निर्धारण करता है और भाग्य के अनुरूप पुरुषार्थ की प्रवृत्ति निश्चित होती है। एक मनोवैज्ञानिक ने सही कहा है कि–

एक विचार को बो, एक प्रवृत्ति की फसल काट लो,
एक प्रवृत्ति को बो, एक चरित्र की फसल काट लो,
एक चरित्र को बो, एक भाग्य की फसल काट लो।

आज का युवा पुरुषार्थ में यकीन करता है और अपने जीवन निर्वाह में नये–नये विचारों को महत्व देता है। एक मनोवैज्ञानिक ने सही कहा है कि अगर हमें महान कार्य करने हैं तो अपने दिलों–दिमाग को महान विचारों से भर लेना चाहिये। कई लोग अपने निःस्वार्थ के चलते सदैव गलत विचारों के चक्र में घूमते रहते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि उनके हाथ में महत्वहीन परिणाम ही लगते हैं। मैत्रे ने कहा था कि जगत अपनी ही सृष्टि है, तुम्हारे जैसे विचार होंगे तुम्हारा संसार भी वैसा ही होगा। एक अन्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे विचार दो प्रकार के होते हैंः विध्यात्मक और निषेधात्मक।

एक तरफ जहाँ विध्यात्मक विचार मनुष्य को हर प्रकार की प्रतिकूल दशाओं में भी अपना उत्साह और मनोबल बनाये रखने के लिये प्रेरित करते हैं वहीं निषेधात्मक विचार व्यक्ति को निराश एवं हतोत्साहित करता है। अगर हमें सफल होना है तो हमें निषेधात्मक विचारों को त्यागना होगा क्योंकि आस्तित्ववादी जीवन दर्शन के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं चयन करता है एवं इसके द्वारा या तो वह वरेण्य बन जाता है अथवा मृत्यु प्राप्ति के लिये विवश हो जाता है। जहाँ एक ओर सकारात्मक विचार व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं एवं एक प्रकार से उसे संकल्पशील बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, वहीं दूसरी ओर निषेधात्मक विचार पलायन प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य उल्लसित बने रहने को ही उत्साह कहा जाता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि देश का युवा वर्ग सकारात्मक एवं आशा भरा दृष्टिकोण अपनाये और विध्यात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाये एवं

अगर कभी कभार जीवन में असफलता भी हाथ लगती है तो प्रयास करना न छोड़े। ऐसे कई उदाहरण देश में बिखरे पड़े हैं जहाँ महान पुरुषों ने लगातार असफलताएं झेली परंतु निषेधात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।

जीवन प्रत्येक व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम आगे बढ़ोगे, अपनी बहादुरी का परिचय दोगे, क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है– एक सकारात्मक युवा हाँ कहते हुए आगे बढ़ता है जबकि निषेधात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति कायरता के कूफल भोगने के लिये अभिशप्त दिशा में चल पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि महारथी अर्जुन के विश्वविजयी होने के पीछे उनका यह दृढ़ संकल्प था–ना दैन्यम न पलायनम, अर्थात न तो कभी अपने को असहाय अनुभव करूंगा और न कभी जीवन की विषमताओं एवं विसंगतियों से भागूंगा। अगर हमारा उद्देश्य महान होगा तो संघर्ष में भी उतना मजा आयेगा और अगर हम संघर्ष करेंगे तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी।

मुझे माखनलाल चतुर्वेदी के शब्द याद आते हैं जिन्होंने लिखा था "जवान वह है जो अपनी हथेलियों के बीच में पृथ्वी को रखकर मसल दे"। आज देश का युवावर्ग बहुत ही जागरुक है एवं जरुरत इस बात की है कि अपनी ऊर्जा, साहस एवं विध्यात्मक चिंतन पद्धति को अपनाते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़े एवं जो युवा यह निश्चय कर लेता है कि उसको समाज को कुछ देना है, वही युवा है।

दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा संगोष्ठी की कुछ झलकियां

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय, सचिव महोदय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का स्वागत करते हुए

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय श्री राजेश श्रीवास्तव, उप निदेशक (तकनीकी) महोदय का स्वागत करते हुये

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय श्री विक्रम सिंह, हिंदी प्राध्यापक महोदय का स्वागत करते हुये

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय स्वागत भाषण देते हुए

राजभाषा संगोष्ठी की कुछ झलकियां

दिनांक 10 फरवरी, 2021 दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य कर रही दिल्ली पुलिस को ग्लव्स, मास्क एवं सेनेटाइजर का वितरण

बैंक के प्रबंध निदेशक श्री शारदा कुमार होता के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अजय कुमार एवं दिल्ली बैंक नराकास के सह सदस्य सचिव श्री बलदेव मल्होत्रा

दिल्ली पुलिस के उप आयुक्त, उत्तरी दिल्ली श्री एंटो अल्फोंस एवं श्री राम कुमार, मुख्य महाप्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ग्लव्स, मास्क एवं सेनेटाइजर प्रदान करते हुये

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक, दिल्ली पुलिस के उप आयुक्त के साथ चर्चा करते हुए

कार्यक्रम की अन्य झलकियां

आवास और मॉर्टगेज उद्योग में फिनटेक की भूमिका

– शालू रस्तोगी, भूतपूर्व प्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक

हम चाहे किसी भी उद्योग की बात करें लेकिन ये सच है कि प्रौद्योगिकी दुनिया का चेहरा बदल रही है। आधुनिक बाजार प्रौद्योगिकी चालित है जो न केवल ग्राहकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता, सटीकता, संचालन नियंत्रण और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करती हैं बल्कि वृद्धि और रणनीति हेतु डाटा, तथ्यों, प्रवृत्तियों और सांख्यकीय संख्याओं पर आधारित त्वरित अैर प्रभावी नीति निर्माण को भी सशक्त करती है। प्रौद्योगिकी चालित परिवर्तन और नवोन्मेष में दो अलग–अलग स्तरों पर आवास मॉर्टगेज उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है। अगर हम सूक्ष्म स्तर की बात करें तो यह लागत और पहुंच के रूप में ग्राहक के समग्र मॉर्टगेज अनुभव को सीधे प्रभावित करती है और ऋण निर्णय प्रक्रियाओं से लेकर जोखिम प्रबंधन तक वित्तीय संस्थानों को उनके उधार संचालन में भी मदद करती है वहीं अगर मैक्रो स्तर की बात करें तो प्रौद्योगिकी प्रभावी डाटा संग्रहण और प्रबंधन के माध्यम से बेहतर आवास संबंधी नीतियों और दिशा–निर्देशों को बेहतर बनाती है।

वित्तीय प्रौद्योगिकी वित्तीय सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का एक मेल है। पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति ने कई प्रमुख उद्योगों के क्षेत्र हेतु ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कई तरीकों से फिनटेक केंद्रित कार्य योजना संचालित करने हेतु आवास तंत्र हेतु भविष्य के अधिक उन्नत, नियोजित, एकीकृत निर्णय निर्माण में सहायता पेश कर सकता है और इसके कार्यान्वयन से सबके लिए आवास के लक्ष्य को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है।

आवास सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारी संख्या में निवेश लगा है और कई सारे अन्योन्याश्रित चरों के साथ यह सबसे जटिल क्षेत्र है। इसके आय, निवेश, बचत, श्रम बाजार, वित्त बाजार आदि पर प्रभाव के माध्यम से इसका अर्थव्यवस्था पर कई तरह से प्रभाव है। इसलिए, सभी संभावित तरीकों से सभी आवासीय नीतियों और निर्णयों का अर्थव्यवस्था पर सीधा, पर्याप्त और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इसलिए, इस क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक निर्णय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और सांख्यकीय डाटा, प्रवृत्तियां/सूचकांक और विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा समर्थित होने चाहिए। प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रभावी उपयोग न केवल आवास खरीद के विभिन्न चरणों में ग्राहक के अनुभव को बहतर बनाता है और वित्तीय संस्थानों हेतु प्रभावी उधार परिचालनों को सुगम बनाता है बल्कि प्रभावी आवास नीतियां, विनियम और दिशा–निर्देश बनाने हेतु प्रभावी डाटा संग्रहण, भंडारण और विश्लेषण की भी अगुआई करता है। आवास क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारक, विभिन्न गतिविधियों, व्यापक अन्योन्याश्रिता, गहन जटिलता और बहु–स्तरीय निर्णय निर्माण का अर्थव्यवस्था और इसकी वृद्धि पर दीर्घकालिक प्रभाव होता है।

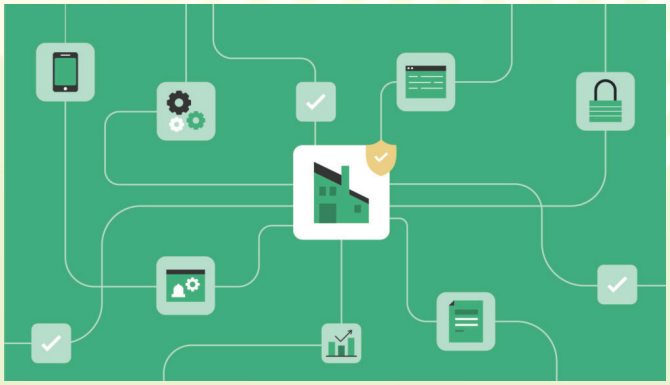

आवास क्षेत्र में भारी मात्रा में डाटा है जोकि जटिल है। डेटा कई क्षेत्रों, संगठनों, हितधारकों के बीच फैला हुआ है और डेटा हमेशा बने रहते हैं। इस डेटा का संग्रह, परिष्करण और एकीकरण, और सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे अपडेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां, वित्तीय प्रौद्योगिकी की भूमिका आती है।

एतिहासिक रूप से देखा जाए तो बैंक/वित्त संस्थान कारोबार के उन क्षेत्रों में से एक रहे हैं जो प्रौद्योगिकी द्वारा व्यवधान के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी रहे हैं। जिस समय कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी, वित्तीय संस्थान जोखिम और एक्सपोजर के संबंध में अपने निर्णयों और फैसलों के समर्थन में अपने खुद के बनाए मजबूत कारोबारी मॉडलों पर भरोसा करते थे। इसके अलावा, बैंकिंग सेवाओं में फिनटेक की भूमिका को स्वीकार करने के प्रति उपभोक्ता प्रतिरोध सुरक्षा मुद्दों, विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी, और जागरूकता जैसे कई कारणों के कारण बहुत अधिक थी। ग्राहक आमतौर पर वित्तीय सेवा प्रदाताओं को बदलने में धीमे होते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बैंकिंग उद्योग रक्षात्मक अर्थशास्त्र और एक लचीला व्यवसाय मॉडल के साथ रहा है। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ फिनटेक की भूमिका ने गति प्राप्त की, जिसने आसानी से सुलभ और कुशल बैंकिंग सेवाओं के लिए एक नया बैंकिंग प्रतिमान पेश किया, जिसने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में प्रौद्योगिकी का स्वागत करने के लिए प्रेरित किया।

वर्तमान में, लगभग सभी वित्तीय संस्थान काफी समय से फिनटेक का लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सेवाओं के प्रभावी और समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक वित्तीय तंत्र के स्थान पर प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी लगातार अपने आप को फिर से नए रूप में ला रही है और इसका उपयोग आवास क्षेत्र के सभी हिस्सों में हो रहा है, चाहे वह उधार हो या फिर नीति निर्धारण। वैश्विक मॉर्टगेज उद्योग तकनीकी नवाचार की एक लहर का सामना कर रहा है क्योंकि प्रतिस्पर्धी ऋणदाता ऋण प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण को स्वचालित, सरल और गति प्रदान करने के तरीके तलाश रहे हैं। फिनटेक रिकॉर्ड के केंद्रीकृत प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए एक कुशल और सरलीकृत तरीके से एक विशाल डाटा प्रबंधन और मॉर्टगेज अनुप्रयोगों का एक तेज शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रसंस्करण हेतु एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है। मैक्किंजे पैनोरमा के अनुसार, विश्व स्तर पर, लगभग 80 प्रतिशतवित्तीय संस्थानों ने फिनटेक साझेदारी में प्रवेश किया है। वैश्विक उद्यम पूंजी फिनटेक निवेश वर्ष 2011 के +1.8 बिलियन की तुलना में वर्ष 2018 में लगभग में +30.8 बिलियन तक पहुंच गई है। आवास क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और नवाचार का बढ़ता उपयोग ग्राहक सेवा, सुचारू संचालन, प्रभावी डेटा प्रबंधन, कुशल नीति निर्धारण और सूचना और परामर्श की पहुंच में सार्थक अंतर प्राप्त करने में मदद कर रहा है। इस प्रौद्योगिकी ने एक सामान्य मंच प्रदान किया है जहां संभावित खरीदार, विक्रेता, दलाल, बीमा एजेंट और ऋणदाता संस्थान एक–दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक–दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जो न केवल ग्राहकों के लिए व्यापक विकल्प खोलता है, बल्कि उनके समय और धन की बचत भी करता है। उदाहरण के लिए – जिलो जैसे एप्लिकेशन सभी संभावित घर खरीदारों को भारी लाभ और सेवाएं प्रदान करते हैं। यह एक समग्र अचल संपत्ति एप्लीकेशन है जिसने आवासीय

संपत्ति खरीदने या किराए पर लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। जिलो एक वर्चुअल रियल एस्टेट ब्रोकर के रूप में काम करता है जो संभावित खरीदारों और विक्रेताओं का बहुत समय और पैसा बचाता है। यह एक मजबूत डेटाबेस के आधार पर काम करता है जो बिक्री या किराया हेतु यूएस में आवास सूची से आता है। यह सभी संभावित खरीदारों को सभी आवासीय संपत्तियों के बर्चुअल भ्रमण हेतु एक पारदर्शी मंच भी प्रदान करता है, जो बिक्री या किराए पर उपलब्ध हैं।

प्रौद्योगिकीय नवाचार में निम्न हेतु बहुत सी संभावनाएं हैं

- बाजार पहुंच को बढ़ाने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश और सुविधा के साथ ही ग्राहकों के लिए लागतों को कम करने और समग्र अनुभव को बढ़ाने के साथ वित्तीय सेवाओं के प्रावधान हेतु। इसी के साथ फिनटेक फर्मों और बड़ी स्थापित प्रौद्योगिकी कंपनियों ('BigTech') सहित वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में आए नए खिलाड़ी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दुनिया को भौतिक रूप से बदल सकते हैं।
- उनके ऋण जोखिम आकलन और निर्णय प्रक्रिया, ऋण जोखिम प्रबंधन सहित धोखाधड़ी प्रबंधन, काला धन रोधक उपाय के साथ मदद करने हेतु विभिन्न साधनों के साथ वित्तीय संस्थानों को सशक्त करने हेतु जोकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा पेश करने के संपूर्ण प्रक्रिया को संगत बनाते हुए मॉर्टगेज से संबंधित जोखिम को समाप्त करने में इन संगठनों की मदद करता है।
- बेहतर आवास डेटा प्रबंधन के माध्यम से बेहतर आवास और आवास वित्त से संबंधित नीतियों, दिशानिर्देशों और विनियमों के लिए, जिसमें डाटा संग्रह, डाटा परिष्करण, विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों और एप्लीकेशनों का उपयोग करके डाटा विश्लेषण आदि शामिल हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के वर्षों में फिनटेक के तेजी से उपयोग ने आवास मॉर्टगेज तंत्र के परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ–साथ उधारदाताओं को भी भारी मात्रा में फायदा हुआ है। इसके अलावा, मौजूदा महामारी की स्थिति ने मॉर्टगेज उद्योग में प्रौद्योगिकी के महत्व को मजबूत किया है, जो ऐतिहासिक रूप से रूढ़िवादी रहा है और इस बदलाव का विरोधी रहा है। मॉर्टगेज उद्योग में फिनटेक के बढ़ते उपयोग ने ऋणदाताओं, संभावित खरीदारों, दलालों आदि सहित सभी हितधारकों को दूर स्थित स्थानों से संपर्क करने और वहां से ही व्यवसाय को संचालित करने और महामारी द्वारा बनाई गई चुनौतियों का सकारात्मक रूप से जवाब देने का सक्षम बनाया है। इस परिस्थिति ने मॉर्टगेज उद्योग में हो रहे प्रौद्योगिकीय बदलावों को बल दिया है और यह साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रौद्योगिकी बदलावों को प्रभावी तौर पर अपनाने और संचालित करने में बहुत मददगार हो सकती है।

"सपना"

– डॉ. जी. एन. सोमदेव, पूर्व उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक

घर का सपना– प्रत्येक व्यक्ति अपना घर होने का सपना पाले रहता है। हाउसिंग बोर्डों तथा आवास प्राधिकरणों से क्रय किए गए भवन/भूखंडों में तो कोई परेशानी नहीं होती किंतु प्राइवेट विकासकर्ता/बिल्डर आदि से भवन या भूखंड क्रय करने पश्चात लोगों को अनेक परेशानी का सामना करते देखा है। हर दिन अखबारों में नए–नए किस्से सुनने को मिलते हैं। रेरा लागू होने के पश्चात भी धोखाधड़ी में कमी नहीं आई है। सुना जाता है कि किसी दबंग धोखेबाज व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच दिए। किसी भूमिधारी ने अपने मन से अपनी जमीन के टुकड़े करके बेच दिए। चूंकि लोग ऐसे प्लॉट किश्तों में खरीदते हैं इसलिए पूरा भुगतान काफी विलंब से हो पाता है। पूरा पैसा चुकाने के बाद रजिस्ट्री करने हेतु जब विक्रेता से संपर्क किया जाता है तो वह व्यक्ति या तो गायब हो जाता है या आना कानी कर समय बढ़ाता जाता है। क्रेता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। चूंकि चुकाए गए पैसों की कोई विधिवत रसीदें नहीं होती हाथ में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता कि विक्रेता पर कार्रवाई हो सके। यदि प्रशासनिक कार्रवाई हो भी गई तो भी क्रेताओं के पैसे वापस नहीं मिलते। यह कुचक्र पूरे देश में चल रहा है। सरकार नियंत्रणात्मक जितने भी अच्छे उपाय करती है धोखेबाज उन उपायों को ठेंगा दिखा देते हैं। धोखाधड़ी में मामूली सजा काटकर वे फिर नई जगह नई धोखाधड़ी शुरू कर देते हैं। अतः ऐसे प्रकरणों की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र प्राधिकरण या कलेक्टर के अधीन ऐसी व्यवस्था हो कि वह क्रेता को खरीदे जाने वाले प्लॉट या भवन के संबंध में

सच्चाई का प्रमाण–पत्र जारी करे ताकि क्रेता निःसंकोच प्राइवेट भूखंड या भवन खरीद सके ताकि बाद में परेशानी न हो। आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है।

नियंत्रण– निर्माण सामग्री के भाव पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ईंट भट्टों के मालिक संसाधन के अभाव में साहुकारों से कर्ज लेते हैं। ईंटें तैयार होते ही

साहुकारों के एजेंटों को भट्टा थमा दिया जाता है। वे मनमाने दामों पर ईंटें बेचते हैं। ईंटों के भाव खूब नीचे–ऊपर होते रहते हैं। आज की बात करें तो 5000 रुपये प्रति हजार पर ईंट उपलब्ध है जिनकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। कभी ईंटें साढ़े तीन इंच की मोटाई लिए होती थी। अब साइज घटकर 2 से 2.5 इंच रह गया है। जहाँ निर्माण कार्य में 1000 ईंटें लगनी चाहिए वहाँ 1300 लग रही हैं। एल्यूमीनियम, लोहा, स्टील, मार्बल आदि की चौंखट उपलब्ध होने के बावजूद कई लोग सागवान की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब दिनों दिन सागवान की मोटाई घट रही है। जहाँ डेढ़ इंची मोटी पटिया लगनी चाहिए वहाँ सवा इंची से काम चलाया जा रहा है। सागवान का न्यूनतम प्रति वर्ग फिट लकड़ी का मूल्य 2500 है। यह स्थिति वहाँ है जहाँ सागवान की अच्छी उपलब्धता है। जंगलों से घिरे कस्बे या शहरों में भी सागवान के रेट कम नहीं है। सरकारी काष्ठगारों से कई दलाल लकड़ी का व्यवसाय करते है। दलालों/बिचौलियों को कम किया गया तो ईमारती लकड़ी के दाम कम हो सकते हैं। सरकारी राशन दुकानों की तरह सरकारी काष्ठगारों से चीरी हुई तैयार लकड़ी का विक्रय होना चाहिए तभी लकड़ी का टाल चलाने वालों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह काम सहकारी समितियों के माध्यम से भी संभव है। सरकार के नियंत्रण में ईमारती लकड़ी के दाम तय होने चाहिए। जंगलों से सरकार को खूब आय होती है मगर वनोपज से आम आदमी को कोई विशेष फायदा नहीं होता। इसलिए यह जरूरी है कि ईमारती लकड़ी के विक्रय पर सरकारी नियंत्रण हो।

शुद्ध पानी– हमारे देश में पानी की उतनी भीषण समस्या नहीं है परंतु फिर भी अनेक प्रदेशों में गर्मी में पानी की समस्या निर्मित हो जाती है। हम सबका कर्तव्य

है कि हम पानी की बचत करें। गांवों में शुद्ध पानी की समस्या बनी रहती है। कुछ फिल्टर ऐसे हैं जिसमें पानी का अपव्यय अधिक होता है। एक तरफ शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं तो दूसरी तरफ शुद्ध पानी के लिये पानी का अपव्यय। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने रिवर्स आसमेसिस (आरओ) के इस्तेमाल पर उचित तरीके से रोक लगाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर उसका पालन कराने के आदेश पर्यावरण मंत्रालय को दिए थे। इसे करीब डेढ़ साल बीत चुका है, लेकिन मंत्रालय ने अब तक इस संबंध में कोई प्रारूप या नियम बनाए ही नहीं हैं। इस मामले पर एनटीजी 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ताजा स्टेटस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारतीय मानक ब्यूरो के बीच अभी कई तकनीकी बिंदुओं पर मतभेदों के चलते सहमति नहीं बन पाई है। एनजीटी ने 20 मई, 2019 को हुई सुनवाई में अपने आदेश में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कहा था कि वह जल्द अधिसूचना जारी कर उन क्षेत्रों में आरओ पर रोक लगवाएं जहाँ पानी खारा नहीं है। साथ ही आरओ निर्माता कंपनियों को यह आदेश जारी करें कि उनकी मशीनें पानी की सफाई के दौरान कम से कम 60 फीसदी पानी का शोधन करें। इसके बाद इन मशीनों को और असरदार बनाकर इनकी क्षमता 75 प्रतिशत पानी शुद्ध देने लायक बनाई जानी चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय की 01 अप्रैल, 2021 को जारी स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी तरह के वाटर शोधन सिस्टम को भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता दें। आरओ संबंधी पर्यावरण मानक तैयार करने के लिए बीओएस को करीब 18 माह का समय चाहिए। अब 5 अप्रैल को एनजीटी कोई नया आदेश जारी कर सकता है।

मोबाइल फोन– आज के समय में मोबाइल का बड़ा महत्व है। यदि मोबाइल खो जाए तो धारक का जनसंपर्क संसार विखंडित हो जाता है। कई–कई महीने खो जाने की टिस नहीं मिटती। संपर्क नंबर, वीडियो तथा महत्वपूर्ण जानकारी खो

जाने का दुख वही जानता है जिसका मोबाइल चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है। यह विचित्र दुख है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इसलिए मोबाइल उपयोगकर्ता को अपने डाटा को बैकअप द्वारा कहीं सुरक्षित रखना चाहिए। अपना गोपनीय डाटा चोर के हाथ लगने से अनर्थ भी हो सकता है। चोरी हुए या खो गए फोन को आईएमईआई नंबर से ट्रेक कर सकते हैं। इसके लिए दूरसंचार विभाग की एक वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटीटी रजिस्टर

http:/ceir.gov.in की मदद ली जा सकती है। इससे आप फोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फोन मिल जाने पर उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। फोन चोरी की शिकायत पहले पुलिस थाने में करनी होगी। शिकायत नंबर के आधार पर ही फोन को ट्रेक कर सकते हैं। चोरी हुए फोन का डाटा भी डीलीट कर सकते हैं।

दुर्भाग्य– बचपन वास्तव में एक नचपन होता है। हर बालक/बालिका कोई ना कोई संगीतमय सदगुण लिए पैदा होता है। 3–4 साल में ही वह अपनी रुचि प्रदर्शित करता है। पालकों को चाहिए कि उसकी रुचि को पहचाने और समझें। स्कूली शिक्षा के साथ–साथ संगीत शिक्षा भी आवश्यक है। संगीत शिक्षा मान प्रतिष्ठा दिलाती है। उस समय इंटरनेट या यू ट्यूब आदि जैसी सुविधा नहीं थी। गुरू–शिष्य परंपरा से ही संगीत शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी। अब समय बदल गया है। इंटरनेट शिक्षा का माध्यम बन गया है। इंटरनेट से भी संगीत सीखा जा सकता है। किसना का दुर्भाग्य था कि 'वादन' में रुचि होने के बावजूद उस वक्त सुविधा या प्रोत्साहन नहीं मिला। मिली तो पालकों की गालियाँ और मार। पिता ने क्रुरता की हदें पार कर दी तो माता ने कभी उसे रोका नहीं। पिता अखाड़े के पहलवान की तरह उठा–उठा कर पटकते। उस्ताद के आगे किसना असहाय था। अतः किसना जैसा दुर्भाग्य किसी का न हो। बचपन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। जवानी और बुढ़ापे में फिर कोई टीस न उठती है न पश्चाताप होता है। पालक अपनी जिम्मेदारी समझे। बचपन प्रताड़ना से गुजरा तो पुरा जीवन बर्बाद समझो। बच्चे ईश्वर समान होते हैं। भला ईश्वर को कोई प्रताड़ित करता है? लेकिन ऐसा होता है। गाँव के बच्चे शहरी बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रताड़ित होते हैं। क्योंकि पालकों को किसी का डर नहीं होता। पुलिस थाने कई–कई किलोमीटर दूर होते हैं। समाज सेवी ध्यान नहीं देते। शहरों की अपेक्षा गाँवों में किशोर न्याय अधिनियम ज्यादा प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। गाँव के सरपंच को अधिनियम में अच्छी भूमिका देकर उनकी सेवाएं बाल अपराध रोकने में दी जानी चाहिए।

प्रसिद्ध तेंदुआ (स्कारफेस)

– आर. के. अरविंद, सहायक महाप्रबंधक

मैं शक्तिशाली था लेकिन वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली था। यह एक कड़ा मुकाबला था। मैंने अपने पंजों से हमला कर उसे घायल किया लेकिन उसने मेरे चेहरे पर अपने नाखूनों से नोचकर मुझ पर वार किया और फिर मैं जमीन पर गिर गया। कुछ पल के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे चेहरे से खून टपकने लगा। हम एक चट्टान पर थे, मैं होश में नहीं था और आखिर में उसने मुझे चट्टान से नीचे धकेल दिया। वह खुशी से घुरघुराया और बोला अब मैं इस इलाके का मालिक हूँ। मेरे पास यहाँ से जाने और इस इलाके को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे काफी बेरहमी से मारकर हराया गया था। मुझे नियमों का पालन करना था। एक बार हार जाने के बाद आपको अपना इलाका विजेता को सौंपना होता था और उस इलाके के आस–पास कहीं भी दिखाई नहीं देना होता था। मेरा चेहरा जल रहा था। मैं दौड़कर नजदीक के पानी के गड्ढे की ओर बढ़ा, अपने चेहरे पर पानी छिड़का और अपनी परछाई को देखा। मेरे चेहरे पर माथे से लेकर नाक के आस–पास और होठों के नीचे एक गहरा निशान था। अरे नहीं! यह निशान अब हमेशा मेरे चेहरे पर रहेगा और मुझे मेरी हार की याद दिलाता रहेगा! मैं अब कैसे जिंऊगा! कहाँ जाऊँगा? मुझे खाने के लिए क्या करना होगा? मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया था और अब मैं बिल्कुल अकेला था! जीवन बहुत कठिन है! एक तेंदुए के लिए किसी दूसरे तेंदुए से हराए जाने और अपने ही घर से दूर किए जाने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। विजेता किसी को भी अपने इलाके में आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इलाका अब विजेता का था और मुझे एक नए इलाके की तलाश थी जहां मैं अपना आने वाला जीवन बिता सकूं।

जब हम छोटे थे, तब हमारी मां ने खतरा रेंज के बारे में बताया था। उन्होंने हमें कहानियां सुनाई कि कैसे वह और उसके पिता अब तक जीवित रहे और परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन गुजारने के लिए उस इलाके से चले गए। उसके नाम ने ही लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा था क्योंकि उस जगह बहुत सारे तेंदुए छिपे हुए थे। कुछ नर तेंदुएं बहुत खतरनाक थे लेकिन उनका भी शिकारियों के जाल में फंसने का काफी खतरा था। खासकर चरवाहों के मवेशी उनके शिकार के रूप में वहाँ उपलब्ध थे। चरवाहे दयालु थे और तेंदुओं का सम्मान करते थे। अगर कोई तेंदुआ उनके मवेशियों को ले जाता था तो वे उसे भेंट के रूप में मानते थे और उसे छोड़ देते थे। वन विभाग के लोग गर्मियों के दौरान गड्ढों को खोदकर और उनमें पानी भरकर वहां के जानवरों की देखभाल भी करते थे। कभी–कभी तेंदुए खेतों या खुले कुओं में फंस जाते थे लेकिन वन विभाग के लोग हमेशा उनकी मदद के लिए आस–पास रहते थे, वे घायल होने पर उनकी देखभाल करते थे और उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते थे। मैं जानता था कि अगर मैं अपने लिये एक इलाका तलाश कर सकूं तो मैं वहीं सुरक्षित रह सकूंगा और इसके लिए मुझे अन्य नर तेंदुओं से लड़ना भी पड़ेगा। मुझे कुछ समय के लिए किसी की नजर में नहीं आना था और

अपनी ताकत को फिर से हासिल करना था। मेरे घावों को भरने में अभी समय था। मुझे उन शिकारियों पर भी नजर रखनी थी जो रात में जानवरों खासकर तेंदुए का शिकार जाल बिछकर या उन्हें गोली मारकर करते थे। हालांकि शिकारियों के लिये यह मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि वन विभाग के लोग रात में गश्त पर आते थे और हमेशा उन पर नजर रखते थे।

मैंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कभी–कभी जीवन में चीजें दूर से तो मुश्किल लग सकती है लेकिन जैसे–जैसे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि यह वही है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। मैंने खतरा रेंज की ओर चलना शुरू किया। मैं जानता था, हो सकता है मैं यहाँ न रह सकूं, हो सकता मेरा अंत किसी बंगले में ट्रॉफी के रूप में रख कर हो लेकिन मुझे खतरा उठाना था। मुझे अपने लिये एक इलाके की तलाश थी ताकि वहाँ अपना परिवार बसा सकूं। मैं यहाँ इधर–उधर नहीं घूम सकता था और हमेशा डर के साये में नहीं रह सकता था।

दूर–दूर तक खतरा रेंज की चट्टानें थी। मैंने सुना था कि पहाड़ों पर बहुत सी गुफाएं थी। जंगल काफी बड़ा था और चारों तरफ से गांवों से घिरा हुआ था। जैसे ही मैंने रेंज में कदम रखा, मैं खतरा महसूस कर सकता था। किसानों के मवेशियों जैसे भैंस के बछड़ों और बकरी के बच्चों को देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा। मैं जोर से गुर्राकर सपने से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था कि साथी तेंदुआ मेरे पास हो। काफी अंधेरा था और पास से ही आवाजें आ रही थी।

मैंने उसी आवाज की तरफ जाने का फैसला किया और आगे जाकर मैंने देखा कि एक मादा तेंदुआ शिकारियों के छोड़े गये जाल में फंसी हुई थी। वह जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और बाहर निकलने की कोशिश में

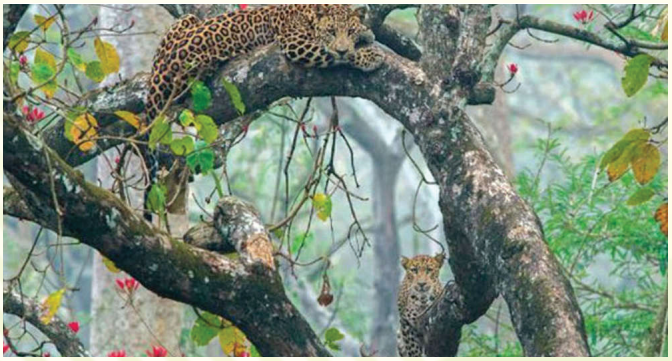

अपने शरीर को बुरी तरह जख्मी कर रही थी और लड़खड़ा रही थी। उसका पंजा जाल में फंस गया था और वह उस जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब मैं वहाँ आया तब उसने ऊपर देखा। उसकी बहुत प्यारी हरी आंखें थी, मैंने खुद से कहा। मैं उसे देखना बंद नहीं कर सका। लेकिन मैं बहुत उदास और असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। उसकी आंखों में डर था और वह मदद मांग रही थी। हमें शोर सुनाई दे सकता था और मुझे ऐसा लग रहा था शिकारी पास में ही है। मैंने एक नाटक करने का फैसला किया। मैं जोर से गुर्राया और शोर किया। मैंने एक के बाद एक डरावनी आवाजें निकाली और झाड़ियों में घुमता रहा और उस मादा तेंदुआ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा जिससे वहाँ हंगामा मच गया। फिर आवाजें रुक गयी।

कुछ देर बाद हमें पास में एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा वन विभाग के लोगों ने हंगामा सुना हो और चेक करने के लिये आये हों। देखो एक तेंदुआ फंसा हुआ है और दूसरा पास में है, वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा। उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखने का फैसला किया और फिर हमें देखने लगे। शिकारियों ने डरकर उस वक्त वहाँ से जाने का फैसला किया और अब मुझे पता था हम सुरक्षित हैं। हरी आंखों वाली मादा तेंदुआ अब शांत थी और उसने एक झटके में अपना पंजा फंदे से बाहर निकाल लिया। वह अब आजाद थी और कुछ देर मेरी तरफ देखने लगी और फिर जंगल में गायब हो गयी। मैंने उसे दूर लड़खड़ाते हुए जाते देखा और सच कहूं तो ऐसी घटना को देखकर मैं काफी दंग रह गया था। अचानक मैंने एक वन अधिकारी की बात सुनी, देखो उसके चेहरे पर एक निशान है, ऐसा लगता है वह यहाँ नया है, क्योंकि उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जीप में सवार वन अधिकारी ने कहा। मुझे यकीन है लोग उसकी तस्वीर लेना और उसके साथ बुल्ली का मुकाबला देखना पसंद करेंगे। वह हंसे और देखने लगे।

बुल्ली, कौन? मैंने खुद से कहा। मैं कुछ वक्त के लिये गांव के पास खेतों में छिप गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेंज में और कितने नर तेंदुए होंगे और वहाँ रहने की कितनी जगह होगी। सुबह में किसानों को काम करते सुनता था और उनसे दूरी बनाये रखता था। रात में जब सब कुछ शांत होता था तो मैं गांव की ओर निकल जाता था और मुर्गा, बकरी के बच्चों और कुत्तों को अपनी दावत बनाता था। एक बार मुझे नीलगाय मिली। इसी दौरान मेरा सामना बुल्ली से हुआ। वह एक बहुत शक्तिशाली तेंदुआ था जिसकी पहाड़ पर सबसे बड़ी गुफा थी। मैं एक रात पहाड़ों के चारों ओर घूम रहा था तब उसे दूर से देखा था। उसने मुझे अपनी दहाड़ से चेतावनी दी। मैं उसे दूर से ही देखता रहा। वह शक्तिशाली और क्रुर था। मैं जानता था कि मेरे पास उससे लड़ने के लिये सब कुछ है, लेकिन मैं डरता था। मैंने उस वक्त कुछ भी न करने का फैसला किया और सही वक्त का इंतजार किया।

कुछ समय बाद मैंने अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली और अब मेरी ताकत सातवें आसमान पर थी। मुझे अपने लिये एक गुफा की तलाश थी और शायद एक साथी की भी। मैं गांव वालों को देखकर खेतों, पेड़ों पर छिपकर और इधर–उधर भागते हुए थक चुका था। चरवाहे भी मुझे स्कारफेस बुलाने लगे थे, कहते थे कि यह बुल्ली जैसा नहीं, यह हमें परेशान नहीं करेगा, वह हमसे दूरी बनाये रखता है और हमें बेवजह परेशान भी नहीं करता है। मुझे पता लगा कि बुल्ली को मस्ती करने के लिये कभी–कभी मवेशियों को मारने की आदत थी और साथ ही उसने कुछ गांव वालों को उन पर हमला करके और डरावनी आवाजों से डराना शुरू किया था। गांव के लोग उससे तंग आ चुके थे।

चांदनी रात थी। हवा बर्फीली थी। अरे अब मैं कैसे गुफा की तलाश करुंगा, मैंने खुद से कहा। मैंने पहाड़ों की ओर जाने का फैसला किया। अचानक मैंने बुल्ली

को फिर से देखा लेकिन इस बार मेरे साथ हरी आंखों वाली मादा तेंदुआ थी। मैं चौंका और दंग रह गया। मैं उसे देखने लगा और कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तुरंत बादल की तरह गरजा। यह बुल्ली को मेरी तरफ से चुनौती थी। वह भी

मुझ पर गरजा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था कि 'क्या अब तुम मुझे चुनौती देने जा रहे हो'?

मैंने उस पर हमला किया फिर वह बहुत तेजी से मेरे ऊपर आया। हम लड़ते रहे और एक दूसरे को काटकर घायल करते रहे। मैंने अपनी पिछली लड़ाई से अपने प्रतिद्वंद्वी से कुछ चीजें सीखी थी और उन्हें यहाँ इस्तेमाल करने के लिये रखी थी। लंबे समय तक बुल्ली को किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा था जिससे उसकी ताकत कम हो गयी थी। मैंने अपनी टांगों को तेज चलाना शुरू किया। मैंने उसकी गर्दन पर हमला करने का फैसला किया। मैं उससे बच निकला और तेजी से उसकी गर्दन में अपने दांतों को धंसा दिया। उसकी गर्दन टूट गयी और मुझे पता था यही उसका अंत था।

हरी आंखों वाली मादा तेंदुआ हमें दूर से देखती रही। बुल्ली दर्द से कराह रहा था और जमीन पर पड़ा था, मुझे पता था यह मेरा समय था। मैं पहाड़ पर उसके पास गया। मैं उसके चेहरे की मुस्कान को भांप सकता था। हम दोनों गुफा की ओर बढ़े। कुछ समय के लिये यह मेरा घर होने वाला था।

मैं खतरा रेंज का प्रसिद्ध तेंदुआ 'स्कारफेस' हूँ। मैं अब एक बड़ी गुफा में रहता हूँ। मुझे गांव के लोग इसलिये पसंद करते हैं क्योंकि मैं उनके मवेशियों को तभी मारता हूँ जब मुझे भूख लगती है और मैं उनके लिये कोई समस्या भी पैदा नहीं करता हूँ। मैं उनसे दूरी बनाये रखता हूँ। वन विभाग के लोग उन पर्यटकों को लाते हैं जो स्कार वाले तेंदुए की तस्वीर लेना चाहते हैं। मैं धूप सेकने के लिये अपनी गुफा के बाहर चट्टानों पर खुले में आकर उनका धन्यवाद करता हूँ और यही वह समय होता है जब लोग मेरी तस्वीर लेते हैं। जब मैं बाहर आता हूँ सैंकड़ों कैमरे एक साथ मेरी तस्वीर लेते हैं। यह मशीन गन की खड़खड़ की तरह लगता है। जब लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित होता है तब मुझे बहुत आनंद मिलता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में पल भर की हार से निराश नहीं होना चाहिये। खुद पर भरोसा रखें, एक दिन आप वो हासिल करोगे जो आप पाना चाहते हैं।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।"

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

शहरीकरण: समस्याएं एवं संभावनाएं

– रजनीश कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, रायपुर

शहरीकरण एक खास समय में ग्रामीण बस्तियों से शहरी बस्तियों में बसने की प्रक्रिया है जहां 70 प्रतिशत लोग दोयम अथवा तीसरे दर्ज (सेवाएं) की श्रेणी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। शहरों को 'समावेशी आर्थिक विकास का ईंजन' माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में 'सांविधिक क्षेत्र' (नगर निगम, नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति), और न्यूनतम 5000 की जनसंख्या तथा गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न 75 प्रतिशत मुख्य पुरुष कामगारों तथा प्रति कि.मी. न्यूनतम 400 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व के मानदंड के साथ 'जनगणना कस्बे' दोनों सम्मिलित होते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ (31. 16%) है। इस तरह 1901–2011 के दौरान, भारत की शहरी जनसंख्या में 20 प्रतिशत बिंदुओं से अधिक की वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक रूप से, 1901 के बाद जब भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र 10.8 प्रतिशत थी, इसमें लगभग तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है।

यद्यपि, विश्व बैंक और जनसंख्या डाटा के अनुसार शहरी जनसंख्या का यह अनुपात कई विकासशील और विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। उदाहणार्थ–जापान (91.16%), ब्राजील (84.6%), ब्रिटेन (81.6%), जर्मनी (74.5%), रूस (73.77%) और चीन (50.6%)। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और जयपुर दस बड़े शहर हैं। 2001–2011 में दिल्ली में 35 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (आगरा और विशाखापत्तनम को एक साथ जोड़कर, इनके बराबर), बंगुलरू में 28 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (कानपुर के बराबर), चेन्नै में 20 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (पटना के बराबर), मुंबई में 20 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (कोझीकोड के बराबर), हैदराबाद में 19 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (त्रिशूर के बराबर), सूरत में 18 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (वड़ोदरा के बराबर), अहमदाबाद में 14 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (वाराणसी के बराबर), पुणे में 13 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (श्रीनगर के बराबर), कोलकाता में 08 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (वारंगल के बराबर), और जयपुर में 07 लाख अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ी (देहरादून के बराबर)। 2030 तक भारत की शहरी आबादी 40.7% हो जायेगी।

शहरों में जनसंख्या में वृद्धि तीन कारणों से है : पहला, असीमित संख्या में उच्चतर जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर में कमी और तीसरा गांवों से (ग्रामीण से शहरी विस्थापन) अथवा छोटे कस्बों (कस्बों से शहरों में) से शहरों की तरफ विस्थापन। वास्तव में, किसी शहर विशेष में एक अवधि के लिये जनसंख्या में स्थिरता के पीछे, महिलाओं की अधिक और बेहतर शिक्षा, छोटे परिवार के आदर्श का प्रसार, परिवारों के बीच अधिक मनोरंजन सुविधाओं का होना, बड़े आकार के परिवारों को संभालने में आर्थिक, विशेष और सामाजिक कठिनाईयां, बार–बार गर्भधारण करने से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता के कारण अपेक्षाकृत कुल प्रजनन दर में कमी के कारण प्रति वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है। यद्यपि एक शहर में होने वाले कुल जन्मों का विकास पर प्रभाव होता है, लेकिन शहरों के आकार में वृद्धि के पीछे सामान्यतः उच्च जन्म दर ही नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर रूप में उपलब्ध हैं, अतः प्रति हजार जन्मों पर पांच बच्चों की मृत्यु दर और प्रति लाख जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कम है। तदनुसार जनसंख्या में मामूली वृद्धि है परंतु यह भी कम जन्म दर के द्वारा संतुलित है। लेकिन विस्थापन (ग्रामीण और अन्य शहरी क्षेत्रों, दोनों से) शहरों में जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान करता है।

विस्थापन सामान्यतः 'खिंचाव' एवं 'दबाव' दोनों कारणों से होता है। शहरों के खिंचाव कारकों में मुख्यतः संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिक नये और बेहतर आजीविका अवसर (सार्वजनिक और निजी) होना, बच्चों की स्कूली और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिये अधिक और बेहतर अवसर होना, अधिक और बेहतर आवासीय सुविधाएं, बेहतर सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं (सिनेमा, क्लब, थिएटर), अधिक सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक उपयोगिताएं, निजी क्षेत्र का विकास, विभिन्न प्रकार से भिन्न–2 स्तरों पर राजनीतिक भागीदारी के लिये अधिक अवसर प्रदान करने के लिये राजनीतिक मामलों का हब, स्वास्थ्य और साफ–सफाई के लिये अधिक और बेहतर सुविधाएं, अभिव्यक्ति और भागीदारी के लिये अवसर प्रदान करने हेतु अधिक जनसंचार स्रोत, युवाओं को अधिक आजादी, अधिक और बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं आदि शामिल होती हैं। यही कारण है कि दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेट्रो शहरों की संख्या 1901 में 1 (कलकत्ता) से बढ़कर 2011 के दौरान 52 हो गई–1951 में यह संख्या 5, 1961 में 7, 1971 में 9, 1981 में 12, 1991 में 24, 2001 में 39 और 2011 में 52 हो गई। अब महाराष्ट्र में 6 शहर, केरल और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 7, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में प्रत्येक में 4, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रत्येक में

3, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में प्रत्येक में 2, और दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, बिहार और कर्नाटक में प्रत्येक में 1 में दस लाख से अधिक जनसंख्या (2011) है। भारत में सबसे तेजी से विकसित हो रहे दस शहर हैं –

गाजियाबाद (23.8 लाख जनसंख्या), दुर्ग–भिलाईनगर (10.6), वसई–विरार (12. 2), फरीदाबाद (14.1), मलापुरम (17), कन्नूर (16.4), सूरत (45.9), भोपाल (18.9), औरंगाबाद (महाराष्ट्र 11.9) और धनबाद (12) – वार्षिक वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत (धनबाद) से 6.9 प्रतिशत (गाजियाबाद) है।

दूसरी तरफ मुख्यतः गांवों में 'दबाव' के कारक हैं: आजीविका के अवसरों का अभाव (कृषि में रोजगार के अवसरों की कमी अथवा 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' (जैसा कि गुन्नार मिरडल ने इसे संज्ञा दी), शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, परिवहन और संचार सुविधाओं का अभाव, अनावश्यक बंधन और रूढिवादी रीति रिवाज, विशेषकर महिलाओं, निचले तबकों और समुदायों के मामले में। पिछले पांच–छह दशकों में यह प्रवृत्ति भी रही है कि गांवों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या के कारण बहुत से परिवार उसी राज्य में अथवा अन्य विकसित राज्य/अथवा राष्ट्रीय राजधानी में सामूहिक रूप से शहरी केंद्रों में विस्थापित हो गये।

शहरीकरण और अर्थव्यवस्था

शहरीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था के उचित संदर्भ में भी देखा जाना चाहिये। भारत चीन (138 करोड़ जनसंख्या) के बाद जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से (विश्व जनसंख्या में 17.5 प्रतिशत हिस्सेदारी) दूसरा सबसे बड़ा देश है (2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोग, अब 2016 में करीब 130 करोड़ होने का अनुमान)। विश्व अर्थव्यवस्था में चीन (विश्व अर्थव्यवस्था में 17.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी) और अमरीका (विश्व अर्थव्यवस्था में 15.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी) के बाद भारत (विश्व अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी) तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति जीडीपी की दृष्टि से, अमरीका के 57.2 हजार डॉलर, आस्ट्रेलिया के 48.2 हजार डॉलर, जर्मनी के 47.5 डॉलर, कनाडा के 46.2 हजार डॉलर, ब्रिटेन के 42 हजार डॉलर, फ्रांस के 41.9 हजार डॉलर, सऊदी अरब के 53.7 हजार डॉलर, जापान के 38.7 हजार डॉलर, दक्षिण कोरिया के 37.7 हजार डॉलर, इटली के 36.2 हजार डॉलर, रूस के 25.2 हजार डॉलर, मैक्सिको के 17.9 हजार डॉलर, ब्राजील के 15.2 हजार डॉलर, चीन के 15.1 हजार डॉलर, दक्षिण अफ्रीका के 13.2 हजार डॉलर, इंडोनेशिया के 11.6 हजार डॉलर के मुकाबले भारत के केवल 6.6 हजार डॉलर (पीपीपी) हैं। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक एचडीआई रैंकिंग (2014) में भारत 130वें स्थान पर है – न केवल जी–20 देशों और ब्रिक्स में सबसे निचले स्थान पर बल्कि दुनिया के किसी भी विकासशील देश से नीचे है।

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़ रही है परंतु लेबर ब्यूरो डाटा (2016) के अनुसार गैर कृषि अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर रोजगार में वृद्धि मात्र 1.1 प्रतिशत वार्षिक की है। इस तरह बेरोजगारी दर में 2011 में 3.8 प्रतिशत से वृद्धि होकर 2015 में 5 प्रतिशत हो गई। 2016 में कुल सृजित रोजगार शिक्षा में 50 लाख (कम मजदूरी), व्यापार में 14.5 लाख, स्वास्थ्य में 12.1 लाख (कम मजदूरी), आईटी/बीपीओ में 10.4 लाख, आवास/रेस्तरां में 7.7 लाख, परिवहन में 5.8 लाख और निर्माण क्षेत्र में 3.7 लाख था। परंतु आईटी में तेजी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर वैश्विक मंदी, वीजा प्रतिबंध और घरेलू आईटी सेक्टर में कटौतियों के कारण ऐसा हो रहा है. इसने शहरी मध्यमवर्गीय घरों को कई तरीकों से प्रभावित किया है।

शहरीकरण की समस्याएं:

यदि हम परिवहन और इसके प्रभावों की स्थिति पर नजर डालें, हम पाते हैं कि दिल्ली में सर्वाधिक संख्या में पंजीकृत वाहन हैं (25 मई, 2017 को 1.05 करोड़ से अधिक), जिनमें से 66.49 लाख मोटर साइकिल/स्कूटर, 31.73 लाख कारें और 7.46 लाख अन्य वाहन हैं। (2.25 लाख माल ढुलाई वाहनों सहित)। ऐसे वाहनों के कारण बड़े उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली को विश्व श्रव्य सूचकांक ने केवल ध्वनि प्रदूषण के आधार पर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर का स्थान दिया है परंतु इसे सर्वाधिक शोर और अधिकतम श्रव्य हानि की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है–गौंगझोऊ (चीन) पहले स्थान पर है। दिल्ली को दुनिया में उन 50 शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है, जहां पर श्रव्य सर्वाधिक निम्नीकृत है (सभी कारणों से, ध्वनि प्रदूषण सहित)। दिल्ली में, किसी व्यक्ति में श्रव्य क्षमता कम से कम बीस वर्ष आयु के किसी व्यक्ति के समान है–अर्थात उस आयु में 20 प्रतिशत कम की क्षमता होती है। शहरी ध्वनि प्रदूषण और श्रव्य हानि के बीच निकट का सकारात्मक संबंध है–(64 प्रतिशत)। अधिक स्पष्ट रूप में भारत में दिल्ली जैसे

बड़े शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत सड़क यातायात, विमान, ट्रेनें, निर्माण गतिविधियां और उद्योग हैं।

यदि हम वायु प्रदूषण पर नजर डालें, कई भारतीय शहरों में स्थिति फिर गंभीर है। वैश्विक वायु 2017 रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण दुनिया में महीन कणों (पीएम 2.5) का दीर्घावधि प्रभाव 2015 में 42 लाख समयपूर्व मृत्यु का कारण बना जिसमें से भारत और चीन को एक साथ जोड़कर इसमें 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, यानी चीन में ऐसी मौतें 11.08 लाख, भारत में 10.90 लाख, यूरोपीय संघ में 2.57 लाख, रूस में 1.37 लाख, पाकिस्तान में 1.35 लाख, बांग्लादेश में 1.22 लाख और अमेरीका में 88400 लाख मौतें हुईं. 1990 से लेकर पीएम 2.5 से संबंधित समय पूर्व मौतों में चीन में 17.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में भारत में यह वृद्धि 48 प्रतिशत हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट (अगस्त, 2016) के अनुसार, 2015 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 41 भारतीय मेट्रो शहरों को कुल निगरानी दिवसों के 60 प्रतिशत में खराब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 168 शहरों में ग्रीन पीस रिपोर्ट 'एअरपोकैलीप्स'' अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण भारत में कुछ शहरों को छोड़कर, ज्यादातर भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (पीएम10) की मानक सीमा के बदले भारत में 20 सबसे बड़े शहरों में 268 और 168 (2015) के बीच बहुत अधिक पीएम 10 स्तर रखते हैं – दिल्ली का स्थान पहला है (268 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर), तदुपरांत गाजियाबाद (258), इलाहाबाद (250), बरेली (240), फरीदाबाद (240), झरिया (228), अलवर (227), रांची (216), कुसुंडा, झारखंड (214), बस्ताकोला, झारखंड (216), कानपुर (205) और पटना (200) का स्थान आता है। वायु प्रदूषण विशेष तौर पर युवा और बुजुर्गों में श्वास, हृदय और रक्तचाप जैसी समस्याओं का मुख्य कारण बनता है।

ज्यादातर भारतीय शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, खुली निर्माण सामग्रियों, कचड़े को जलाने, पराली (फसल के अवशेष), विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उ.प्र. में जलाने के कारण होने वाले धुएं, ईंट भट्ठों से निकलने वाली राख, पुराने भवनों को गिराये जाने, थर्मल संयंत्रों से होने वाले उच्च उत्सर्जन, कोयला जलने, कुछेक क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी के इस्तेमाल आदि के कारण वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान है। 2000–2016 के दौरान दिल्ली में वाहनों में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने और थर्मल संयंत्रों के बंद होने से सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2) 15 माइक्रोग्राम से कम होकर 7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया परंतु दूसरी तरफ इसी अवधि के दौरान नाइट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ2) का स्तर 36 माइक्रोग्राम से 65 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया। डीजल वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण–दिल्ली में बिकने वाली कारों 2000 में डीजल इंजन वाली कारों की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी परंतु अब 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है–एनओ2 में वृद्धि हुई है। अत: डीजल से पेट्रोल और सीएनजी में तबदीली की आवश्यकता है। इसके अलावा एनओ2 को कम करने के लिये कचड़े और जैविक ईंधन के जलाये जाने को बंद करना होगा। वायु में एनओ2 का स्तर बढ़ने के कारण ओजोन प्रदूषण बुरी तरह होता है।

हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस वास्तविक कार्य सूची से अधिक बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। क्षेत्रों, राष्ट्रों और उप राष्ट्रों के बीच पानी का विषम वितरण है। उदाहरण के लिये एशिया में दुनिया की 60 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु इसमें केवल वैश्विक प्रवाह 36 प्रतिशत है जबकि दक्षिण अमरीका में विश्व की मात्र 6 प्रतिशत जनसंख्या है परंतु वहां 26 प्रतिशत वैश्विक प्रवाह है। इसी तरह भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है परंतु केवल 4 प्रतिशत विश्व का ताजा जल इसे प्राप्त होता है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक 2015 तक सुरक्षित पेयजल की पहुंच से वंचित लोगों में आधी संख्या को कम करना था परंतु हम इस प्रमुख लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। शहरी भारत में, हम विभिन्न शहरों में भिन्न भिन्न प्रकार से और समानुपात में पानी की कमी का सामना करते हैं, उदाहरण के लिये राजस्थान में दस कस्बों में तीन दिनों में से केवल एक दिन पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा भारत में 35 शहरों में करीब एक करोड़ लोगों को पूर्व की सामान्य आपूर्ति की अपेक्षा 38 प्रतिशत कम पानी की आपूर्ति की जाती है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय, दिल्ली में करीब 800 तालाब/झीलें थीं परंतु इनमें से ज्यादातर का अतिक्रमण कर लिया गया है और भवनों के निर्माण, समतल क्षेत्रों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिये उनकी प्रकृति को बदल दिया गया। इसके अलावा चार मेट्रो शहरों

(कोलकाता, दिल्ली, चेन्नै और मुंबई) में रोजाना 90 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है परंतु केवल 30 प्रतिशत को शोधन किया जाता है। देश के अन्य शहरों, विशेषकर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, भागलपुर आदि के मामले में भी ऐसा ही हाल है। भारत के पास 433 अरब क्यूबिक

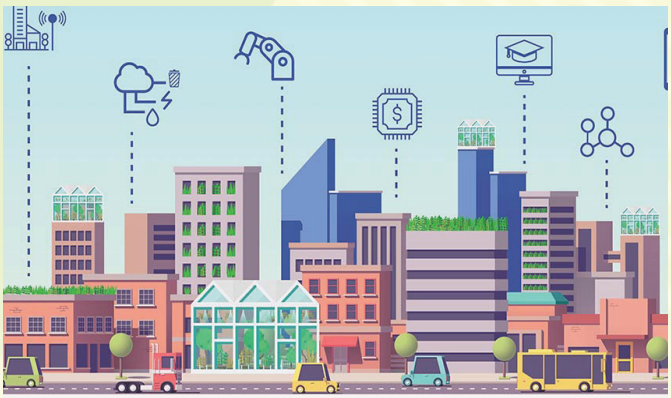

मीटर भूजल है और भारत में ग्रामीण तथा शहरी घरेलू जल की 80 प्रतिशतता से अधिक जरूरत भूजल से पूरी होती है। परंतु भारत की प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में तेजी से गिरावट हुई है – 1947 में 6042 क्यूबिक मीटर से 2011 में 1545 मीटर क्यूबिक–और इसमें आगे गिरावट होकर 2015 में 1340 क्यूबिक मीटर और 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर हो जाने की आशा है। दूसरी तरफ भारत केवल कुल वर्षा जल का केवल 20 प्रतिशत संरक्षित करता है जबकि इस्राइल वैज्ञानिक रूप से इसके कुल वर्षा जल का 80 प्रतिशत संरक्षित करता है। पानी की कमी अक्सर झुग्गियों और अविकसित कालोनियों में आम लोगों के बीच झगड़ों/दंगों का कारण बनती है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है और पानी के नल/टैंकर/हैंड पंप बहुत कम उपलब्ध होते हैं।

सुधारात्मक उपाय: भारत में स्मार्ट शहर विकसित किये जा रहे हैं परंतु इनकी संख्या सीमित है और पहले से मौजूद शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा रहा है। अतः सभी शहरी केंद्रों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। अतः उपर्युक्त गंभीर स्थिति की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कदम गंभीरता के साथ उठाये जाने चाहियें :–

क) राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशानुसार 15 वर्ष या अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को शहरों में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि ये अधिक प्रदूषित हवा छोड़ते हैं, नये डीजल वाहनों के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाना चाहिये और इनके लिये बहुत अधिक पंजीकरण और पार्किंग शुल्क होने चाहिये। वाहनों में केवल स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिये।

ख) एक तरफ पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिये और दूसरी तरफ जनता को भी सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और निजी वाहनों का मित्रों, पड़ोसियों और साथियों के साथ मिलकर इस्तेमाल करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

ग) पर्याप्त तैयारी के साथ वाहनों का ऑड–ईवन फार्मूला लागू किया जाना चाहिये।

घ) शादियों, जन्म, त्योहारों (दीवाली) और अन्य समारोहों का शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध/इनके उत्पादन, बिक्री और खरीद को सीमित करते हुए रोक लगाई जानी चाहिये।

ड़) प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों, थर्मल संयंत्रों, ईंट भट्ठों आदि को तत्काल शहरों और आसपास के क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में तबदील किया जाना चाहिये, इसके अलावा इन्हें नई प्रौद्योगिकियों के साथ पर्यावरण अनुकूल बनाया जाना चाहिये।

च) सब्सिडी देकर वर्षा जल संरक्षण को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये और सभी पुराने तालाबों/टैंकों का पुनर्विकास किया जाना चाहिये।

छ) शहरों में हर साल सुनियोजित वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने चाहियें और छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वैच्छिक संगठनों, नगर निकायों आदि को सही प्रकार से संलग्न किया जाना चाहिये।

ज) ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये उच्च शक्ति की लाउड स्पीकरों, डी. जे. आदि के आवासीय और सांस्थानिक क्षेत्रों में इस्तेमाल पर प्रतिबंध होना चाहिये।

झ) चालकों को अनावश्यक हार्न न दिये जाने के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिये (जैसा कि पश्चिमी देशों में व्यवहार में है)

ट) निर्माण कार्यों के लिये सुनियोजित नियम होने चाहिए जिसमें शोर और वायु प्रदूषण रोकने तथा निर्माण सामग्रियों के लिये सड़क/लेन को बाधित नहीं किये जाने के नियम शामिल हों।

ठ) साइकिलों और बैटरी रिक्शा (सुरक्षा उपकरणों के साथ) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और यूरोपीय देशों की तरह साइकिल चलाने वालों के लिये साइकिल ट्रैकों का निर्माण किया जाना चाहिये।

ड) स्वच्छता कार्य योजना में जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण की रोकथाम के लिये उपकरणों और यंत्रों को शामिल किया जाना चाहिये, मुख्य सड़कों की यंत्रीकृत सफाई शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिये क्योंकि जमा धूल जानलेवा होती जा रही है।

ण) प्रत्येक नागरिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में खाद्य के अधिकार के भाग के तौर पर पर्याप्त सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये–क्योंकि यह समस्या शहरी झुग्गी झोपडियों में अधिक गंभीर है।

त) झोपड़ियों, भीड़भाड़ वाले कस्बों और तथाकथित गैर कानूनी कालोनियों का अच्छी तरह विकास करना जिनमें स्वच्छ पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीवर और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिये, केवल तभी 'स्मार्ट शहरों' की अवधारणा को हकीकत बनाया जा सकता है।

आइए अपने प्रयासों को 'यहीं और अब' की समेकित पद्धति के तौर पर आरंभ करें क्योंकि हजारों मील की यात्रा की शुरूआत पहले कदम से होती है।

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग

– कृष्ण चंद्र मौर्य, सहायक प्रबंधक

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बेहद कम ऊर्जा मांग वाली अत्यधिक कुशल ईमारतें हैं, जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मिलती हैं। इस तरह की ईमारतें वार्षिक आधार पर जितनी ऊर्जा का उपभोग करती हैं, उतनी ही ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। अपने शुद्ध शून्य ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग पहले ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर ऊर्जा की मांग को कम करते हैं, और फिर अवशिष्ट मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं। ऐसी ईमारतों में, दक्षता लाभ अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के संतुलन को सक्षम बनाता है। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह सबसे तार्किक दृष्टिकोण है।

घरों और अन्य संरचनाएं जो लगभग उतनी ही ऊर्जा पैदा करती हैं जितना कि वे उपयोग करते हैं, कभी–कभी निकट–शून्य ऊर्जा भवन कही जाती है। एक ईमारत के लिए एक ऊर्जा अधिशेष का उत्पादन करना और विद्युत ग्रिड में अतिरिक्त वापस भेजना भी संभव है।

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग ऊर्जा–सचेत डिजाइन के साथ शुरू होती है। भवन में कई सुविधाएँ बिना ऊर्जा स्रोत के काम करती हैं। उदाहरण के लिए:

- ठंडी जलवायु में, उस तरफ खिड़कियों के बड़े विस्तार के साथ दक्षिण की ओर की ईमारतें निष्क्रिय सौर लाभ के माध्यम से गर्मी पैदा कर सकती हैं।
- ईमारत की ठंडी उत्तर दिशा में, छोटी खिड़कियां व्यापक उद्घाटन को कोण दे सकती हैं, जिससे गर्मी के नुकसान को सीमित करते हुए अधिक प्रकाश की अनुमति मिलती है।
- गर्म मौसम में, निष्क्रिय वेंटिलेशन सिस्टम निचले स्तर से ठंडी हवा को खींच सकता है और ईमारत के उच्चतम बिंदु के माध्यम से वेंट कर सकता है।
- रूफटॉप सिस्टम उपचारित पानी के उपयोग को कम करने के लिए वर्षा जल एकत्र कर सकते हैं।
- सौर पैनल, हीट रिकवरी सिस्टम, जियोथर्मल हीटिंग और विंड टर्बाइन नेट–शून्य स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीकों में से हैं।

ग्रीन बिल्डिंग के साथ–साथ नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग की आवश्यकता

बढ़ते शहरी करण के कारण, शहरों को प्रारंभिक अवस्था से ही हरा–भरा करने की योजना बनाना और गर्भित करना अनिवार्य हो गया है। जबकि प्रकाश,

एयर–कंडीशनिंग, जल तापन जैसी कई सुविधाएं रहने वालों को आराम प्रदान करती हैं, लेकिन भारी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करती हैं और प्रदूषण को बढ़ाती हैं।

ईमारतों का पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी ईमारतों को गर्मी और शक्ति देने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, तेल, प्राकृतिक गैसों और कोयले को जलाने से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, भवन निर्माण उद्योग भारी मात्रा में विध्वंस अपशिष्ट और ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करता है (35–40%)।

ग्रीन बिल्डिंग वह बिल्डिंग बनाने के बारे में है जो स्थानीय सामग्रियों, स्थानीय पारिस्थितिकी के उपयोग पर अनुकूलन करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बिजली, पानी आदि सामग्री की आवश्यकताओं को कम करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसी सस्टेनबल ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और संसाधन–कुशल हैं, स्थान चयन से लेकर विध्वंस तक व भवन का जीवन चक्र समाप्त होने के बाद भी। टीईआरआई (TERI) के अनुमानों के अनुसार, यदि भारतीय शहरी क्षेत्रों में सभी ईमारतों को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणाओं को अपनाने के लिए बनाया गया होता, तो भारत 8,400 मेगावाट से अधिक बिजली

सालाना बचा सकता है, जो एक वर्ष में 5,50,000 घरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त है।

ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणित एजेंसियां

विभिन्न प्रमाणित एजेंसियां हैं जो बिल्डिंग डेवलपर्स को इन सिद्धांतों को लागू करने और हरित प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करती हैं। उनमें से कुछ हैं:

LEED-India – ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व (LEED) ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। LEED-India ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम उच्च प्रदर्शन वाली ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है (आईजीबीसी द्वारा प्रदान किया गया है)।

IGBC Ratings – भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) भारतीय उद्योग परिसंघ का एक प्रभाग है जो सरकार के साथ मिलकर काम करता है और इसका उद्देश्य सस्टेनबल निर्मित पर्यावरण है।

BEE-ECBC – ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) की स्थापना भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा ईमारतों के डिजाइन और निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को निर्धारित करने के लिए की गई थी।

TERI GRIHA – ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है जिसे नई ईमारतों को डिजाइन और मूल्यांकन करते समय अपनाया जाता है।

भारत में नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग

इंदिरा पर्यावरण भवन (भारत की उच्चतम ग्रीन रेटेड ईमारत)

नई दिल्ली में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) का कार्यालय भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, भारत का पहला नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग है जो सौर निष्क्रिय डिजाइन और ऊर्जा–कुशल भवन निर्माण सामग्री को अपनाने के साथ बनाया गया है। यह इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) के लिए ग्रीन रेटिंग के तहत रेट की जाने वाली अनुकरणीय परियोजनाओं में से एक है और इसमें ऐसे मानक तय किए गए हैं जो आगामी ईमारतों द्वारा अनुकरण किए जा सकते हैं। ईमारत का डिजाइन ऊर्जा खपत को कम करने के लिए 75% प्राकृतिक दिन के उजाले की अनुमति देता है। पूरी ईमारत में निःशक्तजन के लिए ऐक्सेस फ्रेंडली डिजाइन है। भवन ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ऑफ इंडिया (ईसीबीसी) की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश, छायांकन, परिवेश के तापमान को कम करने और ऊर्जा कुशल सक्रिय जल प्रणालियों को प्रदान करके ऊर्जा की मांग को कम करने की रणनीतियों पर विशेष जोर दिया गया है। ईमारत के ऊर्जा भार को कम करने के लिए कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाया गया है और शेष शून्य मानदंड प्राप्त करने के लिए साइट पर उच्च दक्षता वाले सौर पैनलों से ऊर्जा का उत्पादन करके शेष मांग को पूरा किया जाता है।

पारंपरिक भवन की तुलना में इंदिरा पर्यावरण भवन 70% कम ऊर्जा का उपयोग करता है। परियोजना ने साइट से अपशिष्ट जल को रिसाइकिल करके पानी के संरक्षण और अनुकूलन सहित ग्रीन बिल्डिंग अवधारणाओं को अपनाया। ग्रीन बिल्डिंग की सामग्री जैसे फ्लाई ऐश ईंटें, क्षेत्रीय निर्माण सामग्री, उच्च पुनर्नवीनीकरण सामग्री वाली सामग्री, उच्च प्रतिबिंब छत टाइल और बाहरी दीवारों के रॉक वूल इन्सुलेशन का उपयोग किया गया है।

इंदिरा पर्यावरण भवन भारत की उच्चतम रेटेड ग्रीन रेटेड ईमारत है। इसे GRIHA 5 Star और LEED Platinum रेटिंग मिली है। भवन ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आदर्श/जीआरआईएचए जैसे अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के एकीकरण के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीते हैं।

अक्षय उर्जा भवन, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कार्यालय

अक्षय उर्जा भवन में अक्षय ऊर्जा विभाग और हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) के कार्यालय सेक्टर–17 पंचकुला में स्थित हैं। भवन का निर्माण सौर निष्क्रिय डिजाइन तकनीकों पर किया गया है जिसमें बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक (BIPV) प्रणाली है जो इसे नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बनाती है। भवन का निर्माण ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) के अनुपालन और ग्रीन भवनों के लिए एकीकृत आवास मूल्यांकन (GRIHA) रेटिंग प्रणाली के लिए 5–स्टार रेटिंग के साथ किया गया है।

भवन का निर्माण सौर निष्क्रिय डिजाइन तकनीकों पर किया गया है, जिसमें बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक (BIPV) प्रणाली, सोलर चिमनी, मिस्ट कूलिंग, कैविटी दीवारें, फ्लाई ऐश–आधारित ईंटें, सौर जल तापन प्रणाली, जल पुनर्चक्रण

और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था हैं। जैसा कि एक ईमारत में लगभग 35% गर्म छत से दब जाती है, ईमारत की छत को थर्मोटेक टाइलों से ढक दिया गया है जो ईमारत में गर्मी के संचरण से बचते हैं। भवन में सभी खिड़कियां दक्षिण की ओर उन्मुख होती हैं, ताकि दिन के समय अधिकतम प्रकाश सुनिश्चित हो सके और भवन में थर्मल भार का न्यूनतम संचरण हो सके।

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग के लाभ एवं अलाभ

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग के लाभ निम्न है:

- भविष्य की ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से भवन स्वामियों का पृथक्करण।
- अधिक एकसमान आंतरिक तापमान के कारण सुविधा में वृद्धि।
- बेहतर ऊर्जा दक्षता के कारण स्वामित्व की कुल लागत में कमी।
- बाद में किए गए रेट्रोफिट की तुलना में नए निर्माण के लिए अतिरिक्त लागत को कम किया जाता है।
- उच्च पुनर्विक्रय मूल्य चूंकि संभावित स्वामी उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में अधिक नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग की मांग करते हैं।
- समान परंपरागत भवन के सापेक्ष नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग ईमारत का मूल्य हर बार ऊर्जा लागत में वृद्धि होने पर बढ़ जाएगा।
- ऊर्जा ऑस्टेरिटी की कम आवश्यकता
- जीवन यापन की कुल निवल मासिक लागत में कमी
- ग्रिड ब्लैकआउट से नुकसान का कम जोखिम

नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग के अलाभ निम्न है:

- आरंभिक लागत पारंपरिक ईमारतों की तुलना में अधिक हो सकती है
- बहुत कम डिजाइनरों के पास नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बनाने का अनुभव है।
- ईमारतों के पुनर्विक्रय पर उच्च प्रारंभिक लागत वसूल करने की चुनौती।
- एक अनुकूलित थर्मल एंवेलोप के बिना, सन्निहित ऊर्जा, ताप और शीतलन ऊर्जा और संसाधन उपयोग आवश्यकता से अधिक है।

बाधाएं/चुनौतियां

कुछ बाधाएं/चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- विनियमन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
- इष्टतम वित्तपोषण
- डिजाइन पेशेवरों के लिए जागरूकता और मेल–जोल की कमी
- प्रशिक्षित ठेकेदारों को तलाशने में कठिनाई
- अपर्याप्त ज्ञान आधार
- उच्च निष्पादन उत्पादों के लिए उपयुक्त किस्म और प्रतिस्पर्धी बाजार का अभाव
- निष्क्रिय डिजाइन और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी
- गुणवत्ता आश्वासन करने में सक्षम विशेषज्ञों की कमी

निष्कर्ष

शून्य ऊर्जा निर्माण प्रौद्योगिकी की स्वीकृति के लिए अधिक सरकारी प्रोत्साहन या बिल्डिंग कोड विनियम, मान्यता प्राप्त मानकों के विकास, या पारंपरिक ऊर्जा की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। शून्य ऊर्जा निर्माण अवधारणा अन्य निम्न ऊर्जा निर्माण डिजाइनों से एक प्रगतिशील मूल्यांकन रही है। प्रशिक्षित ठेकेदारों और बिल्डरों को तलाशने में कठिनाई, जन जागरूकता की कमी, विनियमन, वित्त पोषण लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं हैं। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग ईमारत के जीवन–काल के लिए ऊर्जा के उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का अच्छा समाधान है।

बुढ़ापा और वृद्ध व्यक्ति विकास के लिए मायने रखते हैं

– सुभाष, क्षेत्रीय प्रबंधक

वे असाधारण तकनीकी विकास के युग थे, जब 1969 में नील ए आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, जूनियर ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था; पहली बार, डॉक्टर ने एक मरते हुए आदमी के दिल को एक यांत्रिक के साथ बदल दिया और एक टेस्ट ट्यूब (एडवर्ड्स और अन्य, 1969) में अंडे को निषेचित किया गया था। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, बेहतर पोषण और स्वच्छता, और शिशु और बाल मृत्यु दर के संकट को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ चिकित्सा प्रौद्योगिकी में पहले की प्रगति ने दुनिया भर में नतीजा देना शुरू कर दिया है।

वृद्ध व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक कार्यबल (अक्सर सेवानिवृत्ति की आयु से परे), करों और उपभोग, और अपने परिवारों और समुदायों को संपत्ति और संसाधनों के हस्तांतरण में भागीदारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पर्याप्त योगदान देते हैं। कार्यबल में उनके व्यापक प्रतिधारण में श्रम उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता है। आज अधिक वृद्ध व्यक्ति एक उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, कार या आवास साझाकरण और पीयर–टू–पीयर लेंडिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान करके नई तकनीकों को अपना रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 1994 के 942.2 मिलियन से बढ़कर 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन हो गई। भारत की छह प्रतिशत आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की है। 2050 तक इसमें 20% की वृद्धि का अनुमान है।

जनसांख्यिकी की दृष्टि से भारत आज बेहतर स्थिति में है। भारत की जनसंख्या की औसत आयु 27 वर्ष है और यह एक युवा देश है। चीन के लिए यह संख्या 37 है। भारत का कार्यबल जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं, जो कि आबादी का 60% से अधिक है और अगले दशक में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। यह हमारे लिए एक आर्थिक और सामाजिक संपत्ति है। 2050 और 2015 के बीच, भारत में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2015 के 9% से लगभग दोगुनी होकर 17% हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2050 में छह लोगों में से एक की उम्र साठ साल या उससे अधिक होगी, जो अब 11 में से एक है।

भारत मे चक्रवृद्धि आबादी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 1.94% है, जो विश्व के 1.66% के CAGR से अधिक है। हालाँकि, हाल के दिनों में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने की प्रक्रिया में है, और 2050 तक 0.96% सीएजीआर से 1.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दुनिया के लिए यह 1.13% है। एक युवा जनसंख्या देश की आयु–निर्भरता के निम्न अनुपात को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के परिणामस्वरूप दीर्घायु बढ़ रही है, और जनसंख्या में वृद्धि प्रतिस्थापन स्तर के करीब है। संक्षेप में, बुजुर्गों की आबादी के बढ़ने की

उम्मीद है क्योंकि जनसंख्या की औसत आयु 2015 के 27 से बढ़कर 2050 तक 38 हो जाती है।

कम उम्र में लोगों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि वे वरिष्ठ लोगो को अच्छे स्वास्थ्य में रखे। यह एक सामुदायिक प्रक्रिया बने क्योंकि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर किसी के जीवन में अपरिहार्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें विकास प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम बनाना सभी भारतीय नागरिकों की प्राथमिकता बने। इस संबंध में सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों के पूरक के लिए नागरिक समाज, समुदाय और परिवारों के बीच मजबूत भागीदारी आवश्यक है।

चिंताजनक बात यह है कि अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति के कारण इस बड़ी आबादी का अधिकांश हिस्सा बुढ़ापे के वर्षों को कवर करने के लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा उपाय से आच्छादित नहीं है। स्थिति इस तथ्य से भी अधिक विकट हो जाती है कि मूल सामाजिक सुरक्षा जाल, पारंपरिक पारिवारिक संरचना, परिवारों के एकल होने के कारण ढह रही है। भारतीयों ने सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में पारंपरिक रूप से परिवार के समर्थन पर भरोसा किया है – एक घटना जिसे विश्व बैंक के पांच–स्तंभ पेंशन ढांचे में स्तंभ शून्य कहा जाता है। लेकिन परिवारों के एकाकी होने के कारण यह सुविधा भी खत्म होती जा रही है।

60 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा बढ़ने की उम्मीद						
	सेवानिवृत्ति आयु		प्रत्याशित आयु 60 (वर्ष)			
देश	पुरुष	महिला	1980–1985	2000–2005	2010–2015	2050–2055
जापान	65	65	20.9	24.8	25.8	30.0
रिपब्लिक ऑफ कोरिया	65	65	16.9	21.1	24.1	29.2
बांग्लादेश			14.1	17.9	19.2	24.7
चीन	60	55	16.7	18.8	19.6	24.0
भारत	58	58	14.7	16.6	17.7	20.3
फिलीपींस	65	65	16.1	16.9	17.2	19.5
इंडोनेशिया			15.2	16.1	16.5	19.1
स्रोतः आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान।						

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के भारतीयों की आयु संभाविता 1980–85 में 14.7 वर्ष से बढ़कर 2010–15 में 17.7 वर्ष हो गई है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, जागरूकता में वृद्धि, और स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण तक पहुंच के कारण 2050–55 तक इसके 20.3 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन प्रत्याशा व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है। भारत में पेंशन का प्रवेश सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आबादी के 24% पर कम है, जापान के लिए 80% से अधिक की तुलना में, 78% के लिए कोरिया और चीन के लिए 74%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, श्रम शक्ति का प्रतिशत जो सेवानिवृत्ति पेंशन में योगदान देता है, जापान (100%), दक्षिण कोरिया (78%), चीन (56%) की तुलना में भारत का लगभग 12% (2010 तक) है।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग), वृद्ध पुरुष आबादी का 41.5% (65+आयु वर्ग) और भारत में 10.7 फीसदी बुजुर्ग महिला आबादी 2016 तक श्रम शक्ति का हिस्सा थी।

2002 मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग को अपनाना एक उम्रदराज समाज की चुनौतियों का समाधान करने और वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। 2030 का एजेंडा समावेशी विकास के लिए उनकी पूरी क्षमता और उनके योगदान को साकार करने के महत्व को भी पहचानता है। 2002 में एजिंग पर द्वितीय विश्व विधानसभा में अपनाई गई मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ने 21वीं सदी में उम्र बढ़ने के मुद्दे को संभालने के लिए एक साहसिक नया एजेंडा पेश किया। इसने तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया: वृद्ध व्यक्ति और विकास; बुढ़ापे में स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाना; और सक्षम और सहायक वातावरण सुनिश्चित करना।

भारत में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने हाल के दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम "राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजन" शुरू किया। वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिए राज्य समर्थन की परिकल्पना करती है। वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद बुजुर्गों से संबंधित सभी मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और एक रियायती भोजन वितरण कार्यक्रम गरीबी में वृद्ध व्यक्तियों को आय और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है।

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा संतुलित विकास को प्राप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक कार्य योजना निर्धारित करता है और सभी लोगों के मानवाधिकारों को साकार करने का प्रयास करता है। यह किसी को पीछे नहीं छोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को समाज के सभी वर्गों के लिए, हर उम्र में, सबसे कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ– वृद्ध व्यक्तियों सहित; पूरा किया जाता है। नए एजेंडे के कार्यान्वयन में वृद्ध व्यक्तियों के बहिष्करण और भेद्यता और उनके खिलाफ अंतर–भेदभाव को संबोधित करना आवश्यक है। वास्तव में परिवर्तनकारी, समावेशी और सतत विकास परिणामों को प्राप्त करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक विकास के सक्रिय एजेंटों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

गुमनाम जिंदगी–खतरनाक करतब

– राजिंदर सिंह बेवली, भूतपूर्व सहायक महाप्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक

चंडीगढ़– नगर के सेक्टर 17 में आजकल चल रहे राजकमल सर्कस के कलाकार दर्शकों को मनोरंजन करने के साथ–साथ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तरह–तरह के करतब दिखाकर तथा लोगों को हंसाकर ये कलाकार ऐसा आभास नहीं होने देते कि इनकी निजी जिंदगी कितनी अंधेरे व दुखों से भरी हुई है। सर्कस का कलाकार चकाचौंध कर देने वाली रौशनियों के बीच काम करते हुए भी अंधेरी और गुमनामी में दिन काटता है..... सर्कस ही उसके लिए घर, परिवार, समाज और सब कुछ है। अपने व्यवसाय, अपने किरदार में खुद को वह इस कदर डुबो देता है कि बाहरी संसार से उसका रिश्ता कट सा जाता है। फिर भी कुछ ऐसा है कि उन्हें इस व्यवसाय के साथ जिंदगी भर बांधे रखता है और वह है इन कलाकारों का आपसी भाईचारा। भारत में लगभग 20 बड़ी सर्कस कंपनियां है..... इनमें जैमिनी, न्यूग्रैड, अपोलो, राजकमल, प्रभात, रॉयल, एरीना, ओलंपिक आदि प्रमुख है। राजकमल सर्कस के मालिक एन.गोपालन के अनुसार एक बड़े सर्कस की लागत 35–40 लाख रूपये तक होती है। सर्कस के तम्बू बहुत महंगे होते है। एक तम्बू 5 लाख रूपये तक का है तथा 2–3 तम्बू रखने पड़ते हैं। सर्कस की टिकटें फिल्म की तुलना में अधिक होने का कारण उन्होंने जानवरों तथा कलाकारों पर होने वाला भारी खर्च बताया।। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में मनोरंजन कर में छूट होती है वहां टिकट कम लगता है।

केरल के श्री.पी.ए. जान और उनका पूरा परिवार सर्कस को समर्पित है। बड़ी लड़की प्रेमा की उम्र 23 वर्ष व छोटी लड़की चित्रा की उम्र 18 वर्ष है। दो लड़के सुखदेव (16) व अशोक (18) हैं। न्यू ग्रैड सर्कस में हर दो–तीन आईटमों के बाद इनका एक खेल अवश्य होता है। श्री जान बचपन से ही सर्कस में हैं और वहीं उनकी शादी तार पर साइकिल चलाने वाली एक कलाकार से हो गयी। इस प्रकार अब बच्चे भी इसी उद्योग में है।

प्रिया, बिना किसी सहारे की एक सीढ़ी पर चढ़कर बैलेंस बनाते हुए एक रिंग में से निकलती है और फिर एक लंबे खंबे पर रखे हुए पानी के गिलास और उन पर रखे अंडो के बीच की परत को (शीशे में देखकर) डंडे से हटाती है और सारे अंडे गिलास में गिर जाते है। सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।

चित्रा, एक तार पर शराबी का अभिनय करती है और एक ही टांग से तार पर आसानी से झूलती है। दर्शक तब ताली बजाये बिना नहीं रह पाते जब चित्रा देखते ही देखते उसी तार पर शीर्षासन की मुद्रा में (बिना हाथों का सहारा लिये) स्थिर हो जाती है। इस खेल का नाम 'ड्रिंकिग वायर लेडी' है। इसके अतिरिक्त चित्रा जिम्नास्टिक (बोनलैस एक्ट) के खेल भी करती है। श्री जान किसी समय एक सर्कस के मालिक थे किन्तु कंपनी के घाटे के कारण सर्कस में नौकरी करने लगे। आज पूरा परिवार 5 हजार रूपये महीना कमा लेता है। श्री जान अब अपने बच्चों को सर्कस की दुनियां से बाहर निकालना चाहते हैं।

रिंग मास्टर अनिल कुमार 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं तथा सर्कस में श्रमिक के तौर पर भर्ती होने के बाद रिंग मास्टर तक के पद पर पहुंचे है। कभी–कभी शेर हमला कर देते हैं। अनिल ने अपने शरीर पर ऑपरेशन के निशान दिखाये। 26 वर्षीय उन्नी जोकर का किरदार करते हैं। दर्शकों को हंसाने वाला यह कलाकार स्वभाव से बहुत गंभीर है परंतु दर्शकों को यह अपने मूड का आभास तक नहीं होने देते। सर्कस के जोकर एक–दूसरे के कूल्हों पर डंडे मारते हैं, वास्तव में ये अपने कुल्हों पर पैड बांध लेते हैं। जब ये मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, तब वे नीचे ताली बजाकर टाइमिंग करते हैं जिससे आवाज तेज हो जाती है।

16 वर्षीय पुष्पा 'बोनलैस एक्ट' का प्रदर्शन करती है। वह कठिन से कठिन योगासन कर सकती है परंतु योग के बारे में उसे कुछ पता नहीं है।

भारतीय सर्कस अंतर्राष्ट्रीय सर्कस से कई तरह से भिन्न है। सर्कस में प्रधान भूमिका लड़कियों को ही दी जाती है। किंतु भारतीय परिवेश, लोकाचार, नैतिकता और मर्यादा की बंधी बधाई सीमाओं के कारण भारतीय सर्कस में काम करने वाली लड़कियां बहुत सीमित मात्रा में वस्त्रों को अपने से अलग कर पाती हैं, जबकि सर्कस जैसे व्यवसाय में, जो पूर्णतः जिस्मानी क्रियाओं पर निर्भर करता है, कपड़े प्रायः अच्छे व लोचादार प्रदर्शन में बाधक सिद्ध होते हैं। रूस और चीन की लड़कियां शायद इसीलिये सबसे आगे रहती है। दूसरा, रूस में स्कूली स्तर तक जिम्नास्टिक एक आवश्यक विषय है और आगे का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विशेष कॉलेज बनाये गये हैं, जिससे यह प्रतिभा और फलती–फूलती है।

हर बड़ी सर्कस में दो–दो, चार–चार या इससे भी अधिक लड़कियां अपने मुंह में कुछ डालकर ऊपर–नीचे होती हुई बड़ी तेजी से घूमती हैं। सर्कस की तकनीकी शब्दावली में इस प्रक्रिया को 'डेंटल एक्ट' कहा जाता है।

इसके लिये कलाकार के दांतों के आकार का विशेष मसूड़ों जैसे पदार्थ तैयार करवाया जाता है और उसके अंदर अच्छे किस्म का बेरिंग फिट करवाया जाता है, जिससे कलाकार के भार सहने की शक्ति बढ़ती है और वह आसानी से काफी तेज घूम सकता है।

केंद्रीय बजट एवं प्रोत्साहन उपायों पर भारत सरकार तथा मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा की गई घोषणाएं

संकलन – नीलाद्रि बोस, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नेहा पंथरी, उप प्रबंधक

1. आर्थिक परिदृश्य:

1.1 वर्ष 2020 में नोवल कोविड–19 का काफी प्रभाव देखा गया तथा इसके चलते यह महामारी इस सदी के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरकर सामने आयी। अप्रैल, 2020 का महीना "वैश्विक लॉकडाउन" का महीना बन गया, जिसमें विश्व की आर्थिक गतिविधि ठप हो गई – जिससे वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट आई। वैश्विक उत्पादन में आईएमएफ तथा विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 में 3.5 – 4.3 प्रतिशत की सीमा तक सबसे अधिक संकुचन देखे जाने की अपेक्षा है। वर्ष 2020 और 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद हेतु संचयी हानि लगभग 9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है – जो संयुक्त रूप से जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। वैश्विक स्तर पर, कोविड–19 के प्रभाव तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के चलते धीमी आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति धीमी रही। विभिन्न मूल्य सूचकांकों (प्रतिशत में) पर आधारित सामान्य मुद्रास्फीति निम्नानुसार है:

	2016–17	2018–19	2019–20	2020–21*
डब्ल्यूपीआई	3.0	4.3	1.7	–0.1 (पी)
सीपीआई–सी	3.6	3.4	4.8	6.6 (पी)

* अप्रैल से दिसम्बर, 2020 हेतु डब्ल्यूपीआई, सीपीआई–सी

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21

1.2 वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने धीमी वृद्धि के बाद जनवरी, 2020 से फिर से अपनी गति पकड़ना शुरू कर दिया था, जो कोविड–19 के प्रभाव से ठप हो गई थी। मार्च–अप्रैल, 2020 के दौरान लगाए गए सख्त लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में प्रथम तिमाही में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 23.9 प्रतिशत और द्वितीय तिमाही में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 7.5 प्रतिशत का तेज संकुचन देखा गया। तब से, कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने वी–शेप रिकवरी प्रदर्शित की है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के दक्ष समर्थन के साथ–साथ लॉकडाउन के लगातार बढ़ने पर भी अर्थव्यवस्था के मूल तत्व काफी मजबूत हैं और अर्थव्यवस्था को पहले जैसा करने की दिशा में लगे हुए हैं।

1.3 सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजकोषीय एवं मौद्रिक सहायता उपलब्ध करायी गयी जो कोविड–19 महामारी के चलते घट गयी थी, जिसके बल पर वित्तीय वर्ष 2020–21 की प्रथम तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हुआ है।

2. भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा घोषित उपाय:

2.1 कोविड–19 का सामना करने हेतु भारत में घोषित प्रमुख वित्तीय/मौद्रिक नीति पैकेज (विशेषकर आवास/आवास वित्त क्षेत्र के लिए) निम्नानुसार हैं:

राजकोषीय नीति उपाय :

आत्म निर्भर भारत पैकेज 1/2/3

- एनबीएफसी एवं एमएफआई की सहायता हेतु आंशिक गारंटी योजना का विस्तार
- एनबीएफसी/आ.वि.कं./एमएफआई के लिए विशेष चलनिधि योजना
- एमआईजी हेतु आवास ऋण आधारित सब्सिडी योजना का विस्तार
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई – यू) के अंतर्गत उप–योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (एएचआरसी)
- रेरा के अंतर्गत अपरिहार्य घटना खंड के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के लिए ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय
- विकासकों एवं आवास खरीदारों के लिए आयकर राहत
- इंफ्रा ऋण वित्तपोषण के लिए प्लेटफॉर्म

मौद्रिक उपाय

- रेपो एवं रिवर्स रेपो दर को कम करना तथा मौद्रिक नीति के अनुकूल बनाए रखना।
- तीन वर्ष तक का लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

- सावधि ऋण अधिस्थगन एवं ब्याज आस्थगन
- दबावग्रस्त आस्ति वर्गीकरण के अनुपालन में शिथिलता
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं
- वैयक्तिक आवास ऋणों पर जोखिम भारिता का पुनर्गठन
- आ.वि.कं. सहित सभी एनबीएफसी को सह–व्युत्पत्ति मॉडल का विस्तार करना
- आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) हेतु विनियामक ढांचे की समीक्षा

3. केंद्रीय बजट 2021–22 में भारत सरकार द्वारा घोषित हाल ही के उपाय

3.1 केंद्रीय बजट 2021–22 ने प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों के रूप में 'सबके लिए आवास' तथा किफायती आवास पर जोर दिया। जुलाई, 2019 के बजट में, किफायती आवास खरीदने हेतु लिए गए ऋण के लिए ₹1.5 लाख की राशि की ब्याज की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की गई थी। उपरोक्त कटौती की पात्रता को एक और वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया था। इसलिये, ₹1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिए गए ऋण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। इस घोषणा से आवास खरीदारों को राहत मिलेगी, जिससे रिहायशी रियल एस्टेट एवं डेवलपर्स में मांग बढ़ेगी जो अपने मौजूदा स्टॉक को समाशोधन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

3.2 बजट 2016 में आयकर अधिनियम में धारा 80आईबीए को शामिल करके, सरकार ने पहले ही रियल एस्टेट डेवलपर्स को किफायती आवास परियोजनाओं की बिक्री के माध्यम से अर्जित मुनाफे पर पूर्ण कर कटौती का दावा करने की अनुमति दी थी। बजट 2021 में घोषणा के साथ, कार्य–क्षेत्र 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। भारत में किफायती आवासों के निर्माण को और प्रोत्साहित करने हेतु, किफायती आवास परियोजना के लिए कर–मुक्तता अवधि का दावा करने की पात्रता अवधि को एक और वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

3.3 प्रवासी कार्मिकों के लिए किफायती किराया आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजना के लिए नई कर छूट की घोषणा की गई।

3.4 बजट 2021–22 में घोषणा की गयी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा InvITs तथा REITs के ऋण वित्तपोषण को प्रासंगिक कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके सक्षम बनाया जाएगा। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने वित्त विधेयक, 2021 के भाग के रूप में ऋण प्रतिभूतियों को उधार पर लेने और जारी करने हेतु समुहित/पूल निवेश वाहनों (AIFs, REITs, InvITs, आदि को शामिल करने हेतु परिभाषित) को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में परिणामी संशोधनों के साथ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनिय, 1992 में संशोधन प्रस्तावित किये हैं। आवश्यक अधिसूचनाएं संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात संबंधित विनियामकों द्वारा जारी की जाएंगी।

4. भा.रि.बैंक द्वारा घोषित हाल ही के उपाय:

4.1 विद्यमान एवं उभरती व्यापक आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी, 2021 में हुई अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहीं।

4.2 एमपीसी ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि मुद्रास्फीति आने वाले लक्ष्य के भीतर ही रहे, टिकाऊ आधार पर विकास को पहले जैसे अपने रूप में लाने तथा अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो कम से कम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुकूल रखने का भी निर्णय लिया।

4.3 निम्न पर कई उपाय किये गये (i) चलनिधि प्रबंधन एवं लक्षित क्षेत्रों को सहायता; (ii) विनियमन एवं पर्यवेक्षण; (iii) वित्तीय बाजारों में गहनता लाना; (iv) भुगतान एवं निपटान प्रणाली को अपग्रेड करना तथा (v) भा.रि.बैंक द्वारा 05 फरवरी, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण की भी घोषणा की गई थी। भा.रि.बैंक द्वारा 05 फरवरी, 2021 को की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

- **टैप योजना पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) – एनबीएफसी को शामिल करना:** यह देखते हुए कि एनबीएफसी अंतिम समय में ऋण प्राप्त करने हेतु उचित माध्यम है तथा विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करने में एक अपरिहार्य गुणक के रूप में कार्य कर रही है, यह प्रस्ताव किया गया कि विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को वृद्धिशील ऋण देने हेतु एनबीएफसी को टैप योजना पर टीएलटीआरओ के अंतर्गत बैंकों से निधियां उपलब्ध करायी जाये।

➤ **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) – छूट प्रदान करना:** दिनांक 27 मार्च, 2020 को बैंकों को निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) अर्थात एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक संचयी का अतिरिक्त एक प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कमी करके सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। बैंकों को उनकी चलनिधि आवश्यकताओं पर सुविधा प्रदान करने हेतु, एमएसएफ छूट को छह माह अर्थात, 30 सितंबर, 2021 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया।

➤ **बेसल III पूंजी विनियमन: पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के पूर्ण चरण का आस्थगन:** कोविड–19 के चलते तनाव को ध्यान में रखते हुए, और वसूली प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए, 1 अप्रैल, 2021 से 1 अक्टूबर, 2021 तक 0.625 प्रतिशत की सीसीबी की अंतिम श्रृंखला के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

➤ **निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन का आस्थगन:** कोविड–19 के चलते तनाव को देखते हुए, एनएसएफआर के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2021 तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

➤ डिजिटल भुगतान सेवाओं हेतु 24x7 हेल्पलाइन शुरू करना

➤ **देश में सभी बैंक शाखाओं में सीटीएस समाशोधन में सहभागिता को सक्षम करना**

➤ **एकीकृत लोकपाल योजना:** वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल एवं अधिक अनुक्रियाशील बनाने हेतु, तीन लोकपाल योजनाओं (अर्थात (i) बैंकिंग लोकपाल योजनाओं (ii) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना) का एकीकरण करने एवं अन्य बातों के साथ–साथ इसे कार्यान्वयित करने एवं शिकायत निवारण हेतु 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु के साथ एकीकृत योजना के अंतर्गत बैंकों, एनबीएफसी के ग्राहकों एवं पीपीआई के गैर–बैंक जारीकर्ताओं को उनकी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाकर शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। एकीकृत लोकपाल योजना जून, 2021 में आरंभ की जाएगी।

4.4 भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 फरवरी, 2021 को मास्टर निदेश– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 जारी किया। विद्यमान मास्टर निदेश भी रा.आ.बैंक द्वारा जारी निदेशों को समेकित एवं निरस्त करते हैं तथा आ.वि.कं. पर लागू एनबीएफसी विनियमों की सूची को इंगित करते हैं। ये मास्टर निदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं।

निदेश के मुख्य प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

i. **परिभाषा:** भा.रि.बैंक द्वारा जारी पूर्व विनियमन में यथा परिभाषित, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आ.वि.कं. निगमित कंपनी है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैः

- यह एक एनबीएफसी है जिसकी वितीय आस्ति, आवास हेतु वित्त उपलब्ध करने के कारोबार में, अपनी कुल आस्ति (अमूर्त आस्तियों द्वारा निवल राशि ज्ञात करना) का कम से कम 60% का हिस्सा रखती है।
- कुल आस्ति (अमूर्त आस्तियों द्वारा निवल राशि ज्ञात करना) वैयक्तिकों हेतु आवास वित्तपोषण के माध्यम से 50% से कम नहीं होना चाहिये।

वे कंपनियां जो वर्तमान में उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन आ.वि.कं. के रूप में कार्य करने की इच्छुक है, को निम्नलिखित लेन–देन समय–सीमा प्रदान की जायेगीः

समय–सीमा	आवास वित्त की ओर कुल आस्ति का न्यूनतम %	वैयक्तिकों के लिये आवास वित्त की ओर कुल आस्ति का न्यूनतम %
31 मार्च, 2022	50%	40%
31 मार्च, 2023	55%	45%
31 मार्च, 2024	60%	50%

ii. **न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां (एनओफ):** भा.रि.बैंक ने आ.वि.कं. हेतु न्यूनतम एनओएफ ₹20 करोड़ अनुरक्षित रखा है। मौजूदा आ.वि.कं. हेतु, 31 मार्च, 2022 तक ₹15 करोड़ और 31 मार्च, 2023 तक ₹20 करोड़ जारी रखता है। कोई भी विद्यमान आ.वि.कं. जिसका एनओएफ ₹20 करोड़ से कम है, उसे प्रासंगिक वर्ष के अप्रैल के अंत तक निर्धारित सीमाओं के अनुपालन के साक्ष्य के साथ भा.रि.बैंक को एक सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। वे आ.वि.कं. जो इन सीमाओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें आवश्यक प्रलेखन के साथ या तो अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) देना होगा या एनबीएफसी–निवेश एवं ऋण कंपनियों (एनबीएफसी–आईसीसी) में संपरिवर्तन हेतु भा.रि.बैंक से संपर्क करना होगा।

iii. **चलनिधि जोखिम ढांचा एवं एलसीआर:** जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. जिसका आस्ति परिमाण ₹100 करोड़ तथा उससे अधिक है एवं

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.विं.कं. (पृथक आस्ति परिमाण) जो अंतराल सीमा का पालन करने सहित चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अनुसरण करती हैं, चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरणों का उपयोग करेंगी तथा चलनिधि जोखिम के स्टॉक दृष्टिकोण को अपनायेंगी। आ.वि.कं. को एलसीआर के अनुसार एक चलनिधि बफर अनुरक्षित रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास किसी भी गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) है जो 30 दिनों तक कार्य कर सकता है।

जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. जिसका आस्ति परिमाण ₹10,000 करोड़ तथा उससे अधिक है एवं जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.विं.कं. जिसका आस्ति परिमाण पृथक है।

समय–सीमा	न्यूनतम एलसीआर
01 दिसम्बर, 2021	50%
01 दिसम्बर, 2022	60%
01 दिसम्बर, 2023	70%
01 दिसम्बर, 2024	85%
01 दिसम्बर, 2025	100%

जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. जिसका आस्ति परिमाण ₹5,000 करोड़ तथा उससे अधिक है लेकिन ₹10,000 करोड़ से कम है।

समय–सीमा	न्यूनतम एलसीआर
01 दिसम्बर, 2021	30%
01 दिसम्बर, 2022	50%
01 दिसम्बर, 2023	60%
01 दिसम्बर, 2024	85%
01 दिसम्बर, 2025	100%

iv. **चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर दिशानिर्देश:** जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. जिसका आस्ति परिमाण ₹100 करोड़ तथा उससे अधिक है एवं जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.विं.कं. (पृथक आस्ति परिमाण) चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अनुसरण करेंगी, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ अंतराल सीमा का पालन शामिल होगा, चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरणों का उपयोग करेंगी तथा चलनिधि जोखिम के स्टॉक दृष्टिकोण को अपनायेंगी।

v. अक्टूबर, 2020 में जारी निम्नलिखित निर्देश सभी आवास वित्त कंपनियों पर लागू रहेंगे:

- **शेयरों की जमानत पर ऋण:** सूचीबद्ध शेयरों के संपार्श्विक के एवज में ऋण देने वाली आवास वित्त कंपनियां शेयरों के संपार्श्विक पर दिए गए ऋणों हेतु 50% के मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात अनुरक्षित रखेंगी। शेयर की कीमतों में उतार–चढ़ाव के चलते 50% एलटीवी के अनुरक्षण में किसी भी तरह की कमी को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- **एकमात्र उत्पाद की जमानत पर ऋण – स्वर्ण आभूषण:** आवास वित्त कंपनियां मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात अनुरक्षित रखेंगी जो स्वर्ण आभूषणों के संपार्श्विक पर दिए गए ऋणों हेतु 75% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा स्वर्ण के बदले ऋण देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रस्तुत करेगी।
- **प्रतिभूतिकरण लेनदेन एवं ऋण वृद्धि के पुनर्निर्धारण पर दिशानिर्देश:** आवास वित्त कंपनियां नकदी प्रवाह एवं अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा आस्तियों का अंतरण करेंगी। ऐसा करने में, आ.वि.कं., अन्य बातों के अतिरिक्त, न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) तथा न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
- **वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम एवं आचार संहिता का प्रबंधन करना:** आ.वि.कं. को अपने कार्यों को आउटसोर्स करने के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रभावी निगरानी, समुचित सावधानी एवं ऐसी आउटसोर्स गतिविधियों से होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए ठोस एवं अनुक्रियाशील जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करें।
- **भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन:** आवास वित्त कंपनियां हानि भत्तों के संबंध में एक विवेकपूर्ण सीमा बनाए रखेंगी तथा विनियामक पूंजी पर निर्देशों का पालन करेंगी।
- समय–समय पर यथा संशोधित **मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016**
- समय–समय पर यथा संशोधित **एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में कपटपूर्ण लेन–देन की निगरानी पर मास्टर निदेश**
- समय–समय पर यथा संशोधित **एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर मास्टर निदेश दिनांकित 08 जून, 2017**

vi. **पूंजीगत आवश्यकता:** आ.वि.कं. को न्यूनतम पूंजी अनुपात 31 मार्च, 2021 तक 14% और 31 मार्च, 2022 के बाद 15% अनुरक्षित रखना होगा। इन संख्याओं में से, टियर I पूंजी 10% से कम नहीं होगी, जबकि टियर II पूंजी टियर I से अधिक नहीं होगी।

vii. **विनियामक प्रतिबंध एवं सीमाएं:** आवास वित्त कंपनियों के स्वयं के शेयरों पर ऋण निषिद्ध है। आ.वि.कं. वैयक्तिकों को आवास ऋण नहीं देगी:

- एलटीवी अनुपात 90% से अधिक के साथ ₹30 लाख तक,
- एलटीवी अनुपात 80% से अधिक के साथ ₹30 लाख से अधिक और ₹75 लाख तक, और
- एलटीवी अनुपात 75% से अधिक के साथ ₹75 लाख से अधिक

आ.वि.कं. स्वयं की स्वाधिकृत निधि का 25% से अधिक के किसी एकल समूह एवं स्वयं की स्वाधिकृत निधि का 15% से अधिक किसी एकल उधारकर्ता को ऋण नहीं दे सकती या उस पर निवेश नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, आ.वि.कं. एक साथ एकल पक्ष को स्वयं की स्वाधिकृत निधि का 25% से अधिकय तथा पक्षों के एकल समूह को स्वयं की स्वाधिकृत निधि का 40% ऋण नहीं दे सकती और उस पर निवेश नहीं कर सकता है।

आ.वि.कं. या तो रियल एस्टेट कारोबार में समूह कंपनी पर एक्सपोजर प्राप्त कर सकती है या समूह संस्थाओं की परियोजनाओं में खुदरा वैयक्तिक आवास खरीदारों को ऋण दे सकती है। यदि आ.वि.कं. अपनी समूह संस्थाओं (ऋण एवं निवेश) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई एक्सपोजर लेने का निर्णय लेती है, तो ऐसा एक्सपोजर समूह में एकल संस्था के लिए स्वाधिकृत निधि का 15% से अधिक और ऐसी सभी समूह संस्थाओं के लिए स्वाधिकृत निधि का 25% नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, आ.वि.कं. अपने स्वयं के उपयोग को छोड़कर, अपनी पूंजी का 25% से अधिक भूमि या भवनों में निवेश नहीं करेगी। साथ ही, पूंजी बाजार एक्सपोजर को आ.वि.कं. के निवल मूल्य के 40% पर सीमित कर दिया गया है।

viii. **सार्वजनिक जमा–राशि:** सार्वजनिक जमा–राशि जारी करने के लिए आ.वि.कं. के पास न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग होनी चाहिए जो उसके एनओएफ के 3 गुना से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, किसी भी आ.वि.कं. के पास 31 मार्च, 2021 को या उसके बाद अपनी एनओएफ का 13 गुना से अधिक; और 31 मार्च, 2022 के बाद अपनी एनओएफ का 12 गुना सार्वजनिक जमाराशि नहीं होगी। यदि आ.वि.कं. शर्तों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक जमा या उसके भाग को चुकाने में असफल रहती है, तो वह कोई ऋण या अन्य ऋण सुविधा नहीं देगी या कोई निवेश नहीं करेगी या जब तक चूक विद्यमान है तब तक कोई अन्य आस्ति निर्माण नहीं करेगी। कोई भी आ.वि.कं. सार्वजनिक जमाराशि को साढ़े बारह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक या भा.रि.बैंक द्वारा संशोधित ब्याज दर पर आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी। आ.वि.कं. को सदैव यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक जमाराशियों के लिए पूर्ण सुरक्षित पूंजी उपलब्ध है। जमाराशियों की चुकौती 12 माह या उससे अधिक की अवधि के बाद की जानी होगी, परंतु ऐसी जमाराशियों की स्वीकृति या नवीनीकरण की तिथि से एक सौ और बीस माह बाद नहीं होगी।

5. दृष्टिकोण

5.1 वर्ष 2020–21 हेतु सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अग्रिम अनुमान (एई) के लिए निर्मुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2020–21 में 2011–12 की कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 7.7 प्रतिशत होने का अनुमान है जो एमपीसी के दिसंबर, 2020 के 7.5 प्रतिशत के अनुमान के बहुत करीब है। विकास अधिक होने के साथ इसके दृष्टिकोण में भी काफी सुधार हुआ है, और देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत महामारी को जड़ से खत्म करने का शुभ संकेत है।

5.2 रिकवरी में काफी सुधार हुआ है, और कई क्षेत्र अपने सामान्य परिचालन में वापस आ गए हैं। उपभोक्ताओं में विश्वास की भावना फिर से पैदा हो रही है, तथा विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे की व्यावसायिक अपेक्षाएं पूरे जोर पर है। प्रमुख महानगरीय केंद्रों में रिहायशी इकाईयों की बिक्री और नई लॉन्च हुई रिहायशी इकाईयां रियल एस्टेट क्षेत्र में नए विश्वास को दर्शाते हैं। भा.रि.बैंक के अनुसार, वाणिज्यिक क्षेत्र विशेषतः अखाद्य बैंक ऋण एवं वाणिज्यिक पत्र (सीपी), आवास वित्त कंपनियों द्वारा ऋण, कॉरपोरेट बॉण्ड का निजी स्थानन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह में सुधार हो रहा है। पिछले वर्ष की अवधि के दौरान ₹7.97 लाख करोड़ की तुलना में इस वर्ष अब तक (15 जनवरी, 2021 तक) इन संसाधनों का कुल प्रवाह ₹8.85 लाख करोड़ है। भा.रि.बैंक का नवीनतम बैंक ऋण सर्वेक्षण आगे 2021–22 तक सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग पर आनुक्रमिक सुधार का सुझाव देता है।

5.3 केंद्रीय बजट 2021–22, स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचे, नवाचार एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ, विकास की गति को तेज करने में असरदार साबित होगा। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2021–22 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

काव्य सुधा

बागबान

— श्री नत्थू अग्रवाल
(पिता – श्री नितिन अग्रवाल, उप प्रबंधक)

जीवन के झंझावातों से
घटाटोप काली रातों से
चिपका के अपनी छाती से
सपना अपना बड़ा किया है
महलों का घर खड़ा किया है
क्या यह सुनने को कहो किया है
'हम अपनी खुद सोचेंगे; तुम अपनी खुद सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

तू हँस–हँस कर खेले
कमी चीज की कभी न झेले
दिन–दिन भर गोदी में ले–ले
भईया अपना बड़ा किया है
जीवन तुझ पर वार दिया है
क्या यह सुनने को त्याग किया है
'हमको अपने से मतलब है; तुम अपना मतलब सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

जीवन भर पाई–पाई करके जोड़ा
तेरे खातिर मुन्नी का गोलक तोड़ा
बढ़ जाए आगे जीवन में तू थोड़ा
चुरा–चुरा कर तेरे आँसू
अपनी आँखों से ढलकाये हैं
क्या यह सुनने को धोके खाये हैं।
'हम अपना जीवन जीएँगे; तुम अपना जीवन सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

स्वदृगों को दीन रखा
स्वंय को गमगीन रखा
पर तुझे भयहीन रखा
हमने अपनी आँखों का सपना
तेरी आँखों में बोया है
क्या यह सुनने को जीवन ढोया है।
'हम राह अपनी चलेंगे; तुम स्वयं की राह सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

जग तेरी जय–जयकार करे
तू धरती पर हूँकार भरे
ध्वज अम्बर में तेरा फहरे
रक्त बने न स्वेद भाल का
हमने पानी लहू किया है
क्या यह सुनने को कहूँ किया है।
'हम अपनी थाती देखेंगे; तुम अपनी लाठी सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

क्या–क्या सोचे थे हम बैठे
अपनी चतुराई में ऐंठे
दलदल में हम ऐसे पैठे
तुमने लघुता को सार दिया
हमने विस्तार बिसार दिया
'हम सक्षम अपनी सोचेंगे; तुम अक्षम अपनी सोचो'!

मैं क्या सोचूँ। तुम सोचो – –

बैंक के प्रधान कार्यालय का वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2021 को किए गए राजभाषा प्रगति सम्बंधी निरीक्षण की कुछ झलकियां

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय निरीक्षण हेतु आये श्री भीम सिंह उप निदेशक महोदय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करते हुये

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय निरीक्षण हेतु आये श्री सर्वेश मिश्रा सहायक निदेशक महोदय का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करते हुये

बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय निरीक्षण हेतु आये श्री अभिषेक साव कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करते हुये

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

दवाई भी और कड़ाई भी

कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करें

मास्क को ढ़ंग से लगाएं

सार्वजनिक स्थान पर अपने नाक और मुँह को ढक कर रखें

हाथों को नियमित रूप से धोएँ / सैनेटाईज़ करें

अपने हाथों को बार-बार सैनेटाईज़ करें एवं नाक और मुँह को ना छुएं। सतह पर सफाई रखें।

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

एक दूसरे से दो मीटर की सुरक्षित दूरी पर रहें।

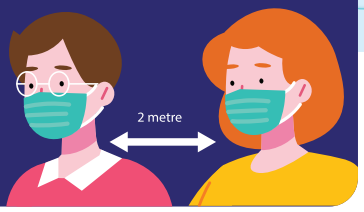

कोविड-19 से अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सभी पात्र नागरिक अपना टीकाकरण करवाएँ।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनहित में जारी

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–24649031–35, फैक्स : 011–24646988
वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता